खण्ड-248, अंक-5
बुधवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1886
(25 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊबल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री]
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्मेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कँथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री

वसीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उप-मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

बुधवार, २५ मार्च, १९६४

सदन द्वारा दण्डित श्री केशव सिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश, श्री एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश, श्री जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान सम्बन्धी पारित संकल्प को कार्यान्वित न करने के कथित समाचार का खण्डन

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने इस सदन का कंटेम्प्ट किया है, इसलिए आप इस सदन को प्रिसाइड नहीं कर सकते। इसके उदाहरण में.....

श्री अध्यक्ष—

क्या कंन्टेम्प्ट किया है, कुछ मालूम तो हो ?

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह मैं आपको ला आफ कंटेम्प्ट....

श्री अध्यक्ष—

पहले एक बात बता दीजिए कि कौन-सा कंटेम्प्ट किया है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, हमारे सामने दो प्रश्न हैं लेजिस्लेचर की सावरेनटी और जुडिशियरी की इंडिपेंडेन्स। दोनों के स्फेयर अलग हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

कंटेम्प्ट यह किया है कि हाई कोर्ट के २८ जजेज जिनकी अध्यक्षता जस्टिस देसाई ने की, उन्होंने एक इंटरिम आर्डर आपके पास भेजा। वह इंटरिम आर्डर आपको बैन नहीं कर सकता। हाउस के रिजोल्यूशन को एग्जोक्यूट करने के लिए कोई भी कोर्ट इंटरिम आर्डर नहीं दे सकता और वह दे भी तो आप उसकी कोई नोटिस नहीं ले सकते.....

श्री अध्यक्ष—

तो मैंने क्या किया ?

श्री नेकराम शर्मा—

आपने श्रीमन्, यह किया है, आपने कल इस सदन में यह कहा, आपने कहा कि मेरे मन में.....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, क्वेश्चन आवर के बाद यह प्रश्न उठाया जाता तो ज्यादा अच्छा था।

श्री अध्यक्ष—

जरा एक बात साफ हो जाय। इसलिए कि मैंने भी कुछ सुना है, मुझसे भी किसी ने कहा कि रेडियो में यह खबर दी गई कि मदनमोहन वर्मा ने आर्डर दे दिया है मार्शल को कि तुम हाउस के रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट मत करो। तो उसी की मैं सफाई देना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत है, झूठ है। मुझसे पांच मर्तबा प्रेस रेप्रेजेंटेटिव्ज् ने पूछा कि क्या आपने ऐसा आर्डर दिया है ? मैंने उनसे कहा कि यह बिलकुल गलत है। कोई ऐसा आर्डर मैंने नहीं दिया है। मैं सदन के आर्डर को फालो कर रहा हूं, उनको डिसओबे नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद में स्वरूपरानी अस्पताल की व्यवस्था

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतावेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के अन्तर्गत स्वरूपरानी अस्पताल में २ महीने से दवाई तथा पट्टी, रूई समाप्त हो गयी है तथा हजारों मरीज बगैर दवा-पट्टी के परेशान हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि १७९ मरीजों के बेड्स को बढ़ा कर ४०० मरीजों के बेड्स स्वरूपरानी अस्पताल में अभी तक न होने के क्या कारण हैं जबकि हजारों मरीज वहां से बगैर इलाज के लौटाये जाते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सरकार ने इस अस्पताल में १८० जनरल बेड्स बढ़ाने के लिये हाल ही में एक तीन मंजिली इमारत बनाने की स्वीकृति दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग शीघ्र ही इस कार्य को प्रारम्भ कर देगा। इसके अतिरिक्त इस अस्पताल में ६६ और बेड्स बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार इस बात की जांच करावेगी कि स्वरूपरानी अस्पताल में ९० परसेंट मरीजों को जो अस्पताल में हैं और जो बाहर से इलाज कराने जाते हैं उनको अस्पताल से दवाई नहीं मिलती है, बाहर से दवा वह खरीदते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, स्थिति ऐसी तो नहीं होनी चाहिये क्योंकि जितना उनको रेकरिंग दिया जाता है उसके अलावा नान-रेकरिंग भी उन्हें दिया गया है और जितना रेकरिंग है उसमें से २४,२५३ रुपये का यूटिलाइजेशन ही ३१ जनवरी तक ए० जी० को सबमिट हुआ है। इस तरह से अभी उसमें भी तो रकम बाकी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मेडिकल कालेज में छात्रों की संख्या को देखते हुये ये १८० बेड्स बहुत कम हैं और उन छात्रों को अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती जब तक बेड्स न बढ़ें। तो क्या मंत्री जी शीघ्र से शीघ्र बेड्स की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि बेड्स ४२२ तक बढ़ाने का विचार है, उसको हम पूरा कर देंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

हम लोगों का अनुभव है कि वहां मेडिकल कालेज में मरीजों से पट्टियां और रुई मंगवाई जाती है। मंत्री जी प्रश्न १ के उत्तर में कहते हैं कि पट्टियों और रुई की कमी नहीं है। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने यह जांच किस अधिकारी से कराई है और क्या वे स्वतः या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह रिपोर्ट तो हमने सिविल सर्जन से मंगाई थी। अब फिर दिखलवा लेंगे कि क्या बात है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

इस वक्त मेडिकल कालेज में १५० विद्यार्थी हैं और बेड्स की संख्या कुल १८० है और पढ़ाई का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। क्या मंत्री जी इस प्रकार का प्रबन्ध करेंगे जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा न पड़े ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस समय तक १७६ बेड्स की व्यवस्था है। अब हम १८० एक और ६६ और, अर्थात् २४६ बेड्स और बढ़ाने जा रहे है। कुल ४२२ बेड्स का प्राविजन हम कर रहे हैं।

सक्सेरिया चीनी मिल, बिसवां

*३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिसवां, जिला सीतापुर स्थित सक्सेरिया शुगर फैक्टरी में कुछ मिल कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे है? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगे क्या हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी नहीं, इस समय कोई कर्मचारी भूख हड़ताल नहीं कर रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

*१—श्री लक्खीसिंह (जिला मथुरा)—

[हटा दिया गया।]

विधायक श्री रामसुन्दर पांडेय का जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ को पत्र

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखित १९ अक्तूबर, १९६३ का कोई पत्र उन्हें और जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ तथा खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मड़ाव ,जिला आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें अवैधानिक रूप से क्षेत्रीय समिति की बैठक बुलाने एवं अन्य अवैध कार्य करने की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

*३—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा २९ अक्तूबर, १९६३ का लिखित पत्र उन्हें तथा जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ एवं खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मड़ाव, जिला आजममढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें नियमित रूप से एजेंडा न देकर निर्णय लेने आदि की शिकायत है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां। उक्त पत्रों पर खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मड़ाव के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करके जिला नियोजन अधिकारी ने क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २२८ तथा २३६ के अन्तर्गत परगनाधीश घोसी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखित १२ दिसम्बर, १९६३ का कोई पत्र उन्हें और जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ,जिसमें विकास खण्ड

फतेहपुर, मड़ाव ,जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम काठतराव और नेमडाड़ के गांव सभापतियों द्वारा अनुदानों का वर्षों से उपयोगी न करके अपने निजी कामों में धन को लगाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कब और किस अधिकारी द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या निकला ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। उक्त पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर, मड़ाव द्वारा जांच कराई गई थी। उनकी जांच दिनांक २-२-६४ से ज्ञात हुआ कि:—

(१) श्री चंडी प्रसाद, भूतपूर्व सरपंच न्याय पंचायत नेमडाड़ ने १६० रुपये ८२ न० पै० दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ को जमा कर दिया है।

(२) ग्राम सभा नेमडाड़ के लिये मार्च, १९६२ में अस्वच्छ कार्य तथा भूमि के लिये १००० रु० क्षेत्र समिति द्वारा दिया गया था। यह धन गांव सभा की पासबुक में १५ जनवरी, १९६३ को हस्तान्तरित कर दिया गया। कार्य शुरू हो गया है और शीघ्र समाप्त हो जायगा।

(३) उक्त ग्राम सभा को क्षेत्र समिति द्वारा ५०० रु० यातायात के लिये २ मई, १९६३ को दिया गया था जो उसी दिन गांव सभा की पास बुक में जमा कर दिया गया। ईंटों के अभाव के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब इसका प्रबन्ध हो गया है। आशा है कि कार्य शीघ्र समाप्त हो जायेगा।

(४) उक्त गांव सभा को जिला परिषद् द्वारा प्राइमरी स्कूल के निर्माण, मरम्मत के लिये ४३० रु० दिनांक ८ मई, १९६१ को मिला था। कार्य जून, १९६३ को समाप्त हो गया है।

(५) गांव काठतराव को उक्त गांव सभा के प्राइमरी पाठशाला के मरम्मत के लिये १८०० रु० का अनुदान दिनांक ८ मई, १९६१ को प्राप्त हुआ था। गांव सभा के प्रधान ने बताया कि मरम्मत के लिये प्रधान ने सारी सामग्री एकत्र कर ली है। एक माह के अन्तर्गत कार्य पूरा हो जायेगा।

(६) गांव सभा काठतराव के कन्या पाठशाला के लिये जिला परिषद् ने दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ को २५०० रु० अनुदान दिया था जो उसी दिन गांव सभा की पास बुक में जमा कर दिया गया। प्रधान ने आश्वासन दिया है कि अध्यापिका आवास गृह शीघ्र तैयार कर दिया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खंड विकास अधिकारी, फतेहपुर, मड़ाव ने क्या और कब रिपोर्ट दी और जिला नियोजन अधिकारी ने परगनाधीश को कब रिपोर्ट दी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

क्षेत्र विकास अधिकारी की रिपोर्ट २ फरवरी की है और जिस दिन आपका पत्र पहुंचा है उस दिन क्षेत्र समिति की बैठक हो रही थी। वह समाप्त हो चुकी थी लेकिन कब उसने जांच कर के रिपोर्ट दी उसकी तारीख की निश्चित सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो पहली बार ४३० रुपया और फिर १,८०० रुपया ८ मई, १९६१ को दिया गया है, ऐसा मालूम होता है कि यह दोनों धनराशियां गांव सभा के कोष में जमा नहीं हैं, जो कि उसी दिन कोष में जमा हो जाना चाहिये जिस दिन कि वह दिया गया है। यह लगभग ३ साल तक गांवसभा के कोष में जमा नहीं हुआ और प्रधान के निजी काम में आता रहा। इसलिये उसके विरुद्ध अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई नहीं, तो सरकार अब क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सही है कि जो सूचना है उसके अनुसार यह १,८०० रुपया डाकखाने में जमा नहीं हुआ यद्यपि उन्होंने सूचना दी है कि हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और काम पूरा करूंगा, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसकी जांच करा लूंगा और जरूरत हुई तो कार्यवाही की जायगी।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

चूंकि यह गबन का मामला है इसलिये क्या मंत्री जी उन दोनों गांव सभा के सभापतियों को सस्पेंड करेंगे और उस रकम को दूसरे काम में खर्च करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यदि गबन जांच में पाया जायगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि सन् १९६१ और ६२ में जो रकम दी गयी थी, उस समय के प्रधान दूसरे थे और आज दूसरे व्यक्ति प्रधान हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह हो सकता है।

श्री कल्पनार्थासिंह—

गांव नेमडाड़ के जो सरपंच पहले थे उनपर १६० रुपया पहले का बकाया था। उन्होंने उस पर भी सभापति के लिये परचा दाखिल किया और चुने गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि बकाया रहते हुये भी उनका परचा खारिज क्यों नहीं किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो रिटर्निंग अफसर के देखने की बात है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह १,८०० रुपया किस के यहां जमा है और इस वक्त तक यह काम न होने का कारण क्या है ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

अभी पांडेय जी ने बतलाया कि अगर उसमें कोई अनियमितता होगी तो उसकी जांच करा ली जायगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

रुपया इस वक्त कहां है और अबतक काम न होने का कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रुपये की शक्ल में इस वक्त नहीं है, प्रधान ने सारा सामान एकत्रित कर लिया है और वह कार्य रूप में परिणत होने जा रहा है ।

श्री रामायणराय—

क्या यह फाइनेंश्यल इर्रेगुलरिटी नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो मान लिया कि इर्रेगुलरिटी है, उसको देखा जायगा ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रधान को १,८०० रुपया दिया गया, जब वह बदल दिया गया तो उसने चार्ज में उसी समय १,८०० रुपया दिया था दूसरे प्रधान को ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो विस्तृत बात है, देखा जायगा ।

बिसवां ब्लाक में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

*५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां ब्लाक के अन्तर्गत जिला सीतापुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहां-कहां हैं और वे स्थान बिसवां नगर से कितने फासले पर हैं तथा विभागीय आदेशों के अनुसार कितने फासले पर होने चाहिये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बिसवां ब्लाक में केवल एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ग्राम टिकरा में है । ग्राम टिकरा बिसवां से ४ मील की दूरी पर स्थित है । प्राथमिक चिकित्सा केंद्र साधारणतः ब्लाक हेडक्वार्टर पर ही खोले जाते हैं अथवा जहां ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी खोलने का निर्णय लेती ह ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

यह जो हेल्थ सेंटर खुला हुआ है वह बिसवां से केवल ४ मील पर है जबकि सरकार का आदेश है कि ५ मील की दूरी पर हेल्थ सेंटर कायम किये जायं, क्या यह सही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह स्थिति नहीं है, ब्लाकों के संबंध में जहां उनका हैडक्वार्टर होता है, वहां होता है, यह नियम है ।

बाराबंकी जिले में इक्साइज इंस्पेक्टर

*६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में प्रांविंशियल इक्साइज इंस्पेक्टर कौन-कौन लोग हैं और कब-कब से हैं तथा जिले में इक्साइज के कितने मुकदमे अप्रैल, १९६३ से जनवरी, १९६४ तक चालान हुये और कितने में और कौन-कौन सी सजायें हुईं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जिला बाराबंकी में निम्नलिखित प्रांविंशियल इक्साइज इन्सपेक्टर हैं, इन लोगों के जिला बाराबंकी में आने की तिथि प्रत्येक के सामने अंकित है ।

१—श्री एन० बी० शर्मा, एक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल नं० १, दिनांक २२-१०-६३ बाद दोपहर से तैनात हैं। बाराबंकी शहर।

२—श्री एम० पी० गुप्ता, एक्साइज, इन्सपेक्टर सर्किल नं० २, दिनांक २७-७-६३ से तैनात हैं (दरियाबाद)।

३—श्री कृष्ण प्रसाद, इक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल न० ३, दिनांक १९-११-६३ से तैनात हैं (हैदरगढ़)।

बाराबंकी जिले में इक्साइज के मुकदमे जो अप्रैल, सन् ६३ से जनवरी, सन् ६४ तक चालान हुये और जिसमें जो फैसले हुये वह संलग्न तालिका "क"† में अंकित है।

*७—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि इन लोगों के हेडक्वार्टर कहां-कहां हैं तथा अप्रैल, सन् १९६३ से जनवरी, सन् १९६४ तक किन-किन तारीखों में किन-किन दुकानों का मुआयना किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रत्येक इक्साइज इन्सपेक्टर के हेडक्वार्टर निम्नलिखित हैं—

१—श्री एन० बी० शर्मा, इक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल १, हेडक्वार्टर बाराबंकी शहर।

२—श्री एम० पी० गुप्ता, इक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल २, हेडक्वार्टर, दरियाबाद, जिला बाराबंकी।

३—श्री कृष्ण प्रसाद, इक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल, ३, हेडक्वार्टर हैदरगढ़, जिला बाराबंकी।

अप्रैल, सन् १९६३ से जनवरी, सन् १९६४ तक इक्साइज दूकानों का तारीखवार मुआयना प्रत्येक इक्साइज इन्सपेक्टर द्वारा तालिका "ख"† में अंकित है।

*८—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

हर एक इक्साइज इंसपेक्टर ने अप्रैल, सन् १९६३ से जनवरी, १९६४ तक कितना-कितना रुपया टी० ए० का हर महीने चार्ज किया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रत्येक इक्साइज इन्सपेक्टर ने अप्रैल, सन् १९६३ से जनवरी, सन् १९६४ तक जो रुपया हर महीने टी० ए० का चार्ज किया है वह निम्नलिखित है:—

१—श्री एन० बी० शर्मा, इक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल नं० १ जो यात्रा अपने कार्यकाल में किया है उसका यात्रा भत्ता निम्नलिखित है:—

१—अक्तूबर, १९६३	..	१०५.४३ न० पैसे
२—नवम्बर, १९६३	..	६३.६० न० पैसे
३—दिसम्बर, १९६३	..	६४.८६ न० पैसे
४—जनवरी, १९६४	..	६१.८५ न० पैसे

† छापी नहीं गई।

२—श्री एम०पी० गुप्ता, एक्साइज इन्सपेक्टर सर्किल नं० २ ने जो यात्रा अपने कार्यकाल में किया है उसका यात्रा भत्ता निम्नलिखित है—

१—जुलाई	..	२५.६९	नये पैसे
२—अगस्त	..	१२२.५२	,,
३—सितम्बर	..	१८४.११	,,
४—अक्तूबर	..	१२५.९८	,,
५—नवम्बर	..	१३८.७६	,,
६—दिसम्बर	..	१२९.८७	,,
७—जनवरी	..	१७७.८९	,, (१९६४)

३—श्री कृष्ण प्रसाद इक्साइज इन्सपेक्टर सर्किल नं० ३ ने जो यात्रा अपने कार्यकाल में किया है उसका यात्रा भत्ता निम्नलिखित है—

१—नवम्बर, १९६३	..	२०.४४	नये पैसे
२—दिसम्बर, १९६३	..	१०८.२६	,,
३—जनवरी, १९६४	..	७८.६४	,,

बलिया के लिए टी० बी० अस्पताल

*९—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया १८ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न १२८ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक टी० बी० अस्पताल खोलने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बलिया में टी०बी० अस्पताल खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

ईश्वरी मेमोरियल जनाना अस्पताल, वाराणसी का स्टाफ

*१०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार १८ अक्तूबर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर में दी गई डाक्टरों, नर्सों, मिडवाइफों, कम्पाउंडरों की तालिका तथा दोनों अस्पतालों के मरीजों की संख्या देखते हुये ईश्वरी मेमोरियल जनाना अस्पताल में स्टाफ की जो काफी कमी तालिका में है उसे सरकार बढ़ाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ईश्वरी मेमोरियल अस्पताल, वाराणसी में डाक्टरों, नर्सों तथा कम्पाउंडरों की कमी नहीं है । अतएव, उनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में सिंचाई ऋण

*११—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में १९६२-६३ में कितने लोगों ने एक हजार से अधिक रुपया सिंचाई संबंधी विकास के लिये कर्जा लिया है ? उनके नाम क्या हैं ? इनमें किन-किन लोगों ने संबंधित कार्य में रुपया व्यय किया ? किन-किन ने नहीं किया और कितने लोगों के जिम्मे रुपया बकाया पड़ा है ?

श्री राममूर्ति—

(१) वर्ष १९६२-६३ में सिंचाई संबंधी विकास के लिये ११७ व्यक्तियों ने एक हजार रुपये से अधिक कर्जा लिया है ।

(२) कर्जा लेने वालों के नामों की सूची †संलग्न है।

(३) ५८ व्यक्तियों ने तकावी धन को संबंधित कार्य में व्यय किया है ।

(४) १९ व्यक्तियों ने कार्य में धन व्यय नहीं किया है, अतः वसूली जारी है ।

(५) ४० व्यक्तियों का कार्य प्रगति में है तथा धन का संबंधित कार्य में प्रयोग हो रहा है ।

(६) तकावी धन समस्त (११७) काश्तकारों से वसूल करना है ।

हमीरपुर जिले में सहकारी सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण

*१२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सहकारिता मंत्री जी ने जिला हमीरपुर के गत दौरे के समय सुपरवाइजर महोबा ब्लाक के ३, सुपरवाइजर ब्लाक पनवारी का एक, मौदहा का एक, गोहाड के तीन तथा मुसकरा के दो का तबादला गैर जिले का किया या कराया था ? ये तबादले किस आधार पर किये गये और क्यों ?

श्री बनारसीदास—

सहकारिता मंत्री का जिला हमीरपुर के लिये गत दौरा २३-१२-६३ को हुआ था परन्तु उस समय उन्होंने जिले के किसी सहकारी सुपरवाइजर के स्थानान्तरण करने का आदेश नहीं दिया ।

श्री मतोलासिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि किस समय ये तबादले किये गये और सामूहिक तबादले क्यों किये गये ?

श्री बनारसीदास—

तबादले प्रशासन के हित में बराबर होते रहते हैं । जहां तक सुपरवाइजरों के ट्रांस्फर्स का सवाल है, यह यूनियन कोआपरेटिव का कार्य है ।

श्री मतोलासिंह—

मंत्री महोदय का उत्तर तो साफ नहीं हुआ। कृपया यह बतायें कि किस तिथि को तबादले किये गये और ११ आदमियों के क्यों किये गये ?

श्री बनारसीदास—

प्रशासन के हित में ट्रांसफर्स तो होते ही रहते हैं । सुपरवाइजरों की संख्या तो ५ हजार के करीब है, इनका ट्रांसफर प्रशासन के हित में किया गया है ।

श्री मतोलासिंह—

किस तारीख को किया गया है ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक हमीरपुर जिले का सवाल है, वह शायद २६-२-६४ को किया गया है ।

---

†छापी नहीं गई।

श्री मतोलासिंह—

बीच में जब कभी ट्रांसफर होते हैं तो वह किसी शिकायत के आधार पर ही होते हैं, तो क्या इनके खिलाफ शिकायत थी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि प्रशासन के हित में हुये हैं ।

डलमऊ तहसील में बबूल के पेड़ बेचने की शिकायत

*१३—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली, तहसील डलमऊ, ग्राम घुरबारा की शाखा के गन्दा नाला के कुछ बबूल के पेड़ १९६३ में ओवरसियर कोठी घुरबारा ने बेचकर कटवा डाला ? यदि हां, तो क्या उसका धन राजकीय कोष में जमा हुआ है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला रायबरेली, तहसील डलमऊ, ग्राम घोरबारा शाखा के गन्दा नाला के कोई भी बबूल के पेड़ १९६३ में ओवरसियर घोरवारा ने नहीं कटवाये और न बेचे हैं । अतः राजकीय कोष में धन जमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रतीपाल—

मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी द्वारा जांच हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी निश्चित जानकारी तो नहीं है, मगर जिले के अधिकारियों द्वारा ही हुई होगी ।

श्री रतीपाल—

क्या इसकी जांच सी०आई०डी० द्वारा करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जब वहां के सभापति ने ही यह बयान दिया है कि हमारे बबूल के पेड़ हैं ही नहीं, तो सी०आई० डी० से जांच का सवाल कहां आता है ?

वाराणसी मानसिक चिकित्सालय

*१४—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

१८-१२-६३ के तारांकित प्रश्न ६३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०० शैय्याओं को निरपराधी मानसिक रोगियों के उपचार के लिये परिवर्तित करने की योजना कब तक कार्यान्वित की जा सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस संबंध में कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

*१५—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त राष्ट्रीय संकटकाल में अस्पतालों का प्रोग्राम रोका गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त अत्यावश्यक प्रोग्राम जो पूर्वी जिलों के लिये एकमात्र उपाय मानसिक चिकित्सा के संबंध में हो सकता है, क्यों रोका गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

राष्ट्रीय संकट काल में सभी अस्पतालों का भवन निर्माण कार्यक्रम रोक दिया गया था। किन्तु बाद में जिनको आवश्यक समझा गया उनका निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया।

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी के उक्त कार्य को भी शासन ने आवश्यक मान लिया है और उस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

श्रीमन्, मैं कई बार प्रश्न कर चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह काम अब कब तक शुरू हो जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें खाली स्वास्थ्य विभाग ही नहीं आता है, पी० डब्लू०डी० और फाइनेंस के बीच भी यह मामला जाता है। जितनी जल्दी हो सकेगी, हम इसे करने की कोशिश करेंगे।

टी० बी० व कैन्सर

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में टी०बी० तथा कैन्सर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये उसको रोकने हेतु गत ५ वर्षों में कौन-कौन से उपाय किये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वांछित सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

*१७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में टी०बी० तथा कैन्सर के मरीजों को रखने हेतु कितने स्थानों पर और कितने मरीजों का प्रबन्ध सरकार ने किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रदेश में टी०बी० संस्थाओं तथा उनमें शैय्याओं की संख्या की सूची संलग्न है। कैन्सर के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६७–४६९ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस बीमारी को रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है और अब तक उसने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो सही है कि बेड्स बढ़ाये नहीं जा सकते। अब हम यह करने जा रहे हैं कि घर-घर जहां भी मरीज हैं वहीं उनका इलाज किया जाय। उसके लिये क्लीनिक्स खोले जा रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार, चूंकि धनाभाव के कारण अधिक अस्पताल नहीं बन सकते, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट के लिये अधिक प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कर रहे हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार इसमें इस बात का खतरा नहीं महसूस करती कि घर में रहने से एक मरीज सारे घर को मरीज बना सकता है चूंकि यह छूत की बीमारी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बना भी सकता है और नहीं भी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

डोमिसिलियेरी ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करते हुये क्या सरकार आईसोलेशन वार्ड बनवाने पर भी विचार करेगी ताकि टी०बी० का मर्ज दूसरों पर न फैलने पावे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सब आवश्यक बातें बराबर की जावेंगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर(जिला सहारनपुर)–

"प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर" को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार फूड एडल्टरेशन के साथ बनस्पति और चाय जो०टी०बी० के कारण हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

फूड एडल्टरेशन का इससे सीधा संबंध नहीं है । फिर भी उसके लिये पूरी मशीनरी है जो उसे कर रही है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या इसे देखते हुए कि टी०बी० के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार वहां तत्काल इसकी व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जब तक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न हो तब तक यह मुश्किल है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार किन्हीं प्रिवेंटिव मैजर्स पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बी० सी० जी० का है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सरकार ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था कि कानपुर में टी० बी० के आईसोलेशन वार्ड का भवन बन जाने पर बेड्स की संख्या ५० से १०० कर दी जायगी । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि संख्या १०० हो जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आश्वासन की कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही फंड्स उपलब्ध होंगे ज्यादा से ज्यादा बनवाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)

जैसे चेचक और मलेरिया उन्मूलन योजनायें चल रही हैं, क्या सरकार ऐसे ही टी० बी० उन्मूलन योजना चलाने पर भी विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इन रोगों में बड़ा खर्चा है। टी०बी० का रोगी बहुत खर्चीला है, इसलिये यह संभव नहीं होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

कैंसर के मरीजों के लिये प्रदेश में कितने अस्पताल हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

न्याय पंचायत घुन्ना में गबन

*१८—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मंत्री प्रश्न संख्या ४०, दिनांक ५ फरवरी, १९६४ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यदि सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने १५ अगस्त, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक उर्मदा विकास क्षेत्र की किसी न्याय पंचायत का निरीक्षण नहीं किया तो क्या उन्होंने उपरोक्त समय के अन्दर किसी न्याय पंचायत के केंद्र स्थान का दौरा किया और किसी पंचायत के हिसाब-किताब के कागजात देखे या नहीं ? यदि हां, तो उन कागजात को देखकर उन्हें क्या हिसाब-किताब में गड़बड़ी मालूम हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने दिनांक १५ अगस्त, १९६३ से ३१ अगस्त, तक जिले की किसी भी न्याय पंचायत केन्द्र का दौरा नहीं किया । अतएव शेष प्रश्न उठते ही नहीं ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई से ३१ अगस्त तक के बीच में दौरा किया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां ।

श्री होरीलाल यादव—

तो क्या उन्होंने उस अदालत पंचायत के हिसाब-किताब को देखा और उसमे कुछ गड़बड़ी पाई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उन्होंने १८ जुलाई को न्याय पंचायत, घुन्ना का निरीक्षण किया और प्रारम्भिक जांच में ४३० रुपये का गबन पाया । बाद में स्पेशल आडिट हुआ तो ५१०.४५ रुपये निकले लेकिन फिर भी यह अंतिम सूचना नहीं है । आगे जा सकता है । ये ५१० रुपये जमा करने की नोटिस उन्हें तुरन्त दे दी गई है ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि डी० पी० ओ० ने प्रश्न कर्ता को यह सूचित किया कि पहले उनसे ९६६ रुपये जमा कराये जा चुके हैं, उसके बाद स्पेशल आडिट पर ५१० रुपये और निकले ?

श्री राममूर्ति—

अगर ५१० रुपये और निकले तो वे भी जमा करवाये जावेंगे ।

भट्ठा [लगाने] के नियम

*१९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ६ अगस्त, १९६० को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई पत्र समस्त जिला परिषदों को भेजा गया था जिसमें जिला परिषद् को ऐसे नियम बनाने का आदेश दिया गया था कि कोई भी ईंट का भट्ठा आबादी, बागात आदि से एक मील के कम के फासले पर न हो ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां ।

*२०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो अब तक किन-किन जिला परिषदों में यह नियम बनाये जा चुके हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना के अनुसार अभी तक किसी भी जिला परिषद् ने अपने संबंधित बाई लाज में आवश्यक संशोधन नहीं किया है । उनका यह कहना है कि प्रदेश में ऐसे स्थान नहीं हैं जो भट्ठे लगाने के उपयुक्त भी हों और आबादी तथा आमों के बागों से एक मील दूर भी हों।

*२१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार जिला परिषदों को ऐसे नियम बनाने के लिये भी आदेश देगी जिससे भट्ठे की दूषित गैस से बागों व आम आदि की फसल को संकट पैदा न हो ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, २४ नवम्बर, १९५५ को जिला परिषद् लखनऊ ने एक उप-नियम बनाया जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति, कम्पनी पार्टनर, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग राज्य द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार एवं स्थानीय संस्थाएं आदि ईंटा, टाइल्स, या खपरा ५०० फीट की दूरी के अन्दर तथा चूना या सुरखी ७५० फीट की दूरी के अन्दर किसी सड़क, किसी ग्राम के निवास स्थान, अस्पताल, या उसी प्रकार के अन्य स्थान या ऐसी इमारतें जो रहने या मिट्टी के तेल या पेट्रोल या अन्य जल उठने वाली वस्तुओं को एकत्र करने के प्रयोग में लाई जाती हैं और कलमी बाग जिसका रकबा ५ बीघा पुख्ता या अधिक हो, के ४ फर्लांग के भीतर न बनावेगा और न फूंकेगा और न बनाने या फूंकने का प्रयत्न करेगा । लेकिन ६-८-६० को उन्होंने आदेश दिया कि १ मील की दूरी पर ही ईंट के भट्ठे होंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जिला लखनऊ में काकोरी रोड पर स्थित महिधनपुर, सिकरौली पटिया और सराय प्रेमराज, लालनगर, खेड़ा, बरनान कलां, बरातन खुर्द, पीरनगर, जसैरिश, अमेठी सलीमपुर, भहोदीपुर, काकोरी, तथा अन्य ग्रामों में फैले हुए ईंट के भट्ठों, जो कलमी बागों के अन्दर हैं और जिनके द्वारा प्रति वर्ष सम्पूर्ण फसल के बरबाद होने के कारण हजारों रुपये का नुकसान होता है, जिला परिषद् लखनऊ को मजबूर करेंगे कि वह अपने उपनियम के अनुसार सभी भट्ठों को हटवाने की व्यवस्था करें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह बड़ा पेंचीदा मामला है । जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि जिला परिषदों में यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा १७४ के अन्तर्गत बायलाज बनाकर भट्ठों का नियमन किया जाता है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट

[श्री बंशीधर पांडेय]

के अन्तर्गत अभी तक भट्ठों के नियमन की कोई नियमावली नहीं बनायी है। कृषि विभाग तथा दूसरे विभाग जिनका संबंध डेवलपमेंट से है, उनसे सरकार विचार-विमर्श कर रही है। इस समय अभी यह निर्णय लिया गया है कि नये भट्ठों को, जो आबादी या बगीचों के एक मील के दायरे में हों, इजाजत न दी जाय। लेकिन कुछ ऐसे भी भट्ठे हैं जो पुराने चल रहे हैं, उनको हटाने में कुछ कठिनाई है, कुछ भट्ठे वाले आज्ञा देने पर हाईकोर्ट से रिट भी ले आये। इस प्रकार से यह बड़ा काम्प्लीकेटेड मामला है। नये रूल बन जाने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या सरकार राजकीय आदेश दिनांक ६--८--६० को पालन कराने के लिये कोई अधिकृत कमेटी बनायेगी जो यह पता लगाये कि प्रदेश में ऐसे कौन से स्थान हैं जो आबादी और बाग से एक मील की दूरी पर हैं और जहां भट्ठे लगाये जा सकते हैं ?

श्री राममूर्ति---

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता का सुझाव तन्दुरुस्ती के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो निर्देश सरकार की तरफ से दिये जाते हैं उनका कार्यान्वयन लोकल बाडीज के द्वारा होता है ? सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है कि वह छोटी-छोटी चीजों में उनके ऊपर कोड़ा लेकर खड़ी हो जाये। हम उनसे सद्भावना से कार्य कराना चाहते हैं। प्रश्नकर्ता महोदय की सलाह का मैं आदर करता हूं लेकिन उसका कार्यान्वयन मुश्किल है, इस पर जरा गौर करें।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

जिस नियम का हवाला दिया गया है उसका पालन जिलों में नहीं हो रहा है और उसके कारण बागों का बहुत नुकसान हो रहा है, इसको दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---

वही तो जवाब दिया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

जैसा कि अगस्त, ६० के परिपत्र में है, अगर उसको कार्यान्वित किया जायगा तो देहाती क्षेत्र में ईटों का अभाव ही हो जायगा क्योंकि गांवों के आसपास ऐसी जमीन बहुत ही कम है जो गांव व बागों से एक मील के फासले पर हो और ऊसर बंजर हो ? इसलिये क्या सरकार इस परिपत्र को वापस लेने पर विचार कर रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जो भी मामला विचाराधीन है, उस पर अन्तिम रूप से कब तक फैसला हो जायगा?

श्री राममूर्ति---

संबंधित विभागों से इस संबंध में विचार विमर्श चल रहा है लेकिन कौन-सी तारीख तक फैसला हो जायगा, यह कहना मुश्किल है।

श्री वेदराम (जिला एटा)--

भट्ठे वालों को जो नये लाइसेंस दिये जा रहे हैं, क्या उनसे यह शर्त रखी जा रही है कि उनका भट्ठा एक मील से बाहर हो ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि नयों के लिये यह लागू कर रहे हैं।

श्री लखीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि देहातों में एक-एक मील के अन्दर ५-५ और ६-६ गांवों की आबादी है और उनकी जमीन वहां एक मील दूर तक है नहीं, तो फिर क्या लोग अपने मकान बनवाना बन्द कर दें, क्योंकि वे अपने भट्ठे कहां लगावेंगे ?

श्री राममूर्ति--

यह अक्सर देखा गया है कि एक मील के अन्दर कई कई बस्तियां हैं और वहां बाग हैं तथा भट्ठा लगाने के लिये कोई ऊसर या बंजर जगह नहीं है, तो लोगों को अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो कुछ दूर से ही अपने लिये ईंटे लाने चाहिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि लखनऊ-हरदोई मार्ग पर जो भट्ठे लगे हुए हैं वे बाग के अन्दर हैं तथा उन भट्ठों से जो बाग के अन्दर लगे हुए हैं फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है ? यदि हां, तो वे उनको वहां से हटाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

मेरा सुझाव है कि अगर माननीय सदस्य इस मामले को हाई कोर्ट में ले जायं, तो हो सकता है कि बाग वालों को उसके बदले में कुछ मुआवजा भी मिले।

देवरिया जिले में चीनी मिल के दूषित पानी से क्षति

*२२--श्री राजदेव (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दी कानपुर शुगर वर्क्स प्रा० लि० कठकुइयां फैक्ट्री ब्रांच, जिला देवरिया के कर्मचारियों एवं व्यवस्थापकों की लापरवाही के कारण उक्त चीनी मिल से निकला हुआ गन्दा, गरम तथा रासायनिक पानी बहकर बराबर ग्राम सेमरा हरदो, पोस्ट कठकुइयां, जिला देवरिया के कृषकों के खेतों में भरता चला जा रहा है और अब तक पचासों एकड़ खेतों में भर चुका है, जिससे खड़ी गन्ने आदि की फसलें सूखकर बरबाद हो रही हैं ? क्या इस संबंध में संबंधित कृषकों ने एक प्रार्थना-पत्र भी दिनांक २३ दिसम्बर, १९६३ को माननीय मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास--

जी हां। मैनेजमेन्ट की लापरवाही से माह दिसम्बर, १९६३ में फैक्टरी का गन्दा गरम पानी कुछ खेतों में चला गया जिससे कुछ काश्तकारों की फसल का नुकसान हुआ। उनके २३-१२-६३ के प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई और फैक्टरी को उन्हें उचित मुआविजा देने के आदेश दिये गये।

*२३--श्री राजदेव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार इस पानी को अविलम्ब रोकने तथा क्षतिग्रस्त कृषकों को समुचित क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

फैक्टरी ने अपने गन्दे गरम पानी को खेतों में न बहने के लिये उचित कार्यवाही कर ली है। मुआबजे का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि कृषकों ने खुद ही मिल से संधि द्वारा तय कर लिया है कि उन्हें कोई क्षति-पूर्ति नहीं चाहिये।

विकास क्षेत्र अधिकारी, दहगवां के विरुद्ध शिकायत

*२४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न ३३ के उत्तर से संबंधित, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेजरी आफिस ने क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित पे बिल पर क्या आपत्ति की थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मार्च माह के वेतन बिल पर जो आपत्ति कोषाधिकारी द्वारा की गई थी उसकी कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। यह आपत्ति वेतन बिल पर ही लगाई गई थी। जो मूल रूप में आपत्ति के निवारण के उपरान्त कोषाधिकारी को वापस कर दिया गया।

*२५—श्री उल्फतसिंह यादव—

१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न ३२ के उत्तर के प्रसंग में मेरी यह सूचना सत्य मान कर कि कमरों की चाभी बी० डी० ओ० के पास ही थी, क्या सरकार जांच करायेगी और क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसा पहले प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर में लिखा जा चुका है कि विकास कार्यालय तथा स्टोर खुला रहा केवल क्षेत्र विकास अधिकारी का कक्ष बन्द रहा, सही है। इस संबंध में पूर्व जिला नियोजन अधिकारी ने जो जांच की थी उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि कार्यालय व स्टोर उक्त तिथियों में खुला रहा, केवल क्षेत्र विकास अधिकारी का कक्ष बन्द था।

*२६—श्री उल्फतसिंह यादव—

१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न ३१, ३२, ३३ के एक पूरक प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दहगवां ब्लाक में व्याप्त दलबन्दी के लिये जिम्मेदार उक्त ब्लाक के क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दलबन्दी विकास क्षेत्र के कर्मचारियों ने ही की थी। इसमें क्षेत्र विकास अधिकारी, दहगवां का कोई हाथ नहीं था। दलबन्दी करने वाले कर्मचारियों को विभागीय दंड दिया जा चुका है। क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उल्फतसिंह यादव—

ट्रेजरी आफिसर ने क्या आपत्ति की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ओरीजनल बिल के संबंध में ही एक आपत्ति कोषागार से उठायी गयी थी। वह शायद रजिस्टर वगैरह में नोट होती है। मूल एतराज वहां से चला गया है, और उसकी प्रतिलिपि इस समय हमारे पास नहीं है इसलिये मैं ठीक नहीं कह सकता।

किसानों को उर्वरक

*२७—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९६२ व १९६३ में किन-किन प्रकार के उर्वरक किन-किन कम्पनियों द्वारा किस रेट से खरीदे गये और किसानों को किस रेट पर वही उर्वरक दिये गये ?

श्री बनारसीदास——

एक विवरण तथा तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७०–४७१ पर)

*२८—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक किसानों को ९ प्रतिशत सूद पर क्यों दिया जा रहा है जब कृषि विभाग द्वारा यही ५ या साढ़े ५ प्रतिशत सूद पर मिलता था ?

श्री बनारसीदास—

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को ऋण मिलता है । अल्पकालीन ऋण ढाई प्रतिशत तथा मध्यकालीन ऋण ३ प्रतिशत व्याज पर मिलता है । जितना ऋण रिजर्व बैंक से उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को मिलता है उससे भी अधिक धनराशि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक अमानतों द्वारा इकट्ठा करता है जिनपर ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक व्याज देना पड़ता है रिजर्व बैंक से प्राप्त धनराशि और अमानतों से प्राप्त धनराशि पर देय सूद को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देने की व्याज की दर निश्चित करता है । यह दर आजकल ४ प्रतिशत है जो उचित है । केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकारी-समितियों को साढ़े पांच से लेकर ६ ३/४ प्रतिशत व्याज की दर पर ऋण देते हैं । केन्द्रीय सरहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से ४ प्रतिशत पर ऋण मिलता है और अमानतों के लिये उन्हें लगभग ५ प्रतिशत सूद देना होता है । बैंक को अपना खर्चा निकाल कर कुछ लाभ की भी व्यवस्था करनी होती है । सहकारी समितियों को ५ १/२ से ६ ३/४ प्रतिशत व्याज की दर पर ऋण मिल जाता है । वे ८ १/४ से ८ ३/४ प्रतिशत व्याज पर अपने सदस्यों को ऋण दे पाती हैं । सहकारी समितियां, केन्द्रीय सहकारी बैंक के खर्च को ध्यान में रखते हुए और अमानतों पर प्राप्त हुई धनराशि की व्याज की दर को देखते हुए ८ ३/४ प्रतिशत अधिक नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

कोआपरेटिव प्रादेशिक फेडरेशन अमोनियम सलफेट ३३० रुपये में खरीदता है और ३६६ में बेचता है, अमोनियम सलफेट नाइट्रेट वह ४०० में खरीदता है और ४३६ में बेचता है, यूरिया ६७० में खरीदता है और ७१९ में बेचता है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वह २७८ में खरीदता है और ३१४ में बेचता है और इस तरह से उसको १३ प्रतिशत का टोटल लाभ होता है और सूद के लिये मंत्री जी ने बताया कि हम पौने ९ प्रतिशत पर देते हैं और वह साल भर का सूद होता है और उर्वरक वह एक मास में ही बेच देते हैं, तो यह जो कास्ट-प्राइस में १३ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और इतनी बढ़ोत्तरी क्यों की गई है ?

श्री बनारसीदास—

जो तालिका दी गई है उसी में इसका विवरण पूरे तरीके से दिया गया है और इन चारों उर्वरकों का ब्योरा दिया गया है । इसमें डी० सी० एफ० तो सोल एजेंट है और वह डी० सी० डी० एफ० के द्वारा वितरण कराता है । डी० सी० एफ० की जिम्मेदारी उसे अदा करने की होती है । जो खाद दिया जाता है उसके मूल्य की वसूलयाबी में कठिनाई होती है, इसीलिये डी० सी० एफ० जिम्मेदार है और उसको कमीशन भी मिलना ही चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि १३ प्रतिशत की जो बढ़ोत्तरी कास्ट प्राइस की है उसमें जो ओरिजनल मूल्य लगता है उसमें सूद भी शामिल है और किसानों से दोबारा सूद लिया जाता है? इस प्रथा को हटाने के लिये और किसानों पर हो रही ज्यादती को दूर करने के लिये सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि कृषि विभाग इसी खाद को साढ़े ५ प्रतिशत पर दे रहा था और अब सहकारिता विभाग उसे १३ प्रतिशत पर दे रहा है और ९ प्रतिशत का सूद भी ऊपर से लियाजा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

इन दोनों में अन्तर है, यह कमीशन का रेट जो आप का बताया है यह उसमें शामिल है। यह राज्य के लिये होता है और अगर कृषक लेते हैं तो ब्याज उनको देना पड़ता है, कृषि विभाग तो तकावी की शक्ल में देता था और उसके नियम भी अलग हैं लेकिन जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि कोआपरेटिव प्रणाली में ज्यादातर डिपाजिट की धनराशि है। रिजर्व बैंक का रुपया बहुत कम है और डिपाजिट्स पर डिपोजिटर्स को ब्याज देना पड़ता है इसलिये इसका अन्तर है। लेकिन जहां तक कि तकावी का सवाल है उसकी दर अलग है।

श्री झारखण्डे राय—

मंत्री जी बतायेंगे कि उर्वरक का जो वितरण किसानों को कृषि और सहकारिता विभाग के जरिये से हो रहा है इससे अड़चन पड़ती है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेंगी कि इसका वितरण एक विभाग करे ?

श्री बनारसीदास—

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह योजना प्रसारित की गई थी और उनका कायदा यह है कि कोआपरेटिव के जरिये से इनका वितरण किया जाय। लेकिन क्योंकि ग्रामों के अन्दर सब कृषक परिवार अभी तक कोआपरेटिव के सदस्य नहीं हैं इसलिये नान-मेम्बर्स के लिये कृषि विभाग द्वारा बांटा जाता है। इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि एक ही के द्वारा वितरण किया जाय, पहले इसी प्रकार से सीड स्टोर्स की दिक्कत थी। अन्त में सीड स्टोर्स को कोआपरेटिव के सुपुर्द कर दिया गया। अब अगर सब किसान कोआपरेटिव के मेम्बर हो जांय तो फिर इसका वितरण कोआपरेटिव के द्वारा ही होगा।

श्री भीखालाल—

मंत्री जी बतायेंगे कि सहकारिता विभाग ने एक कन्सर्न से उर्वरक खरीदा था? यदि हां, तो किस भाव पर? यदि नहीं, तो उस कनसर्न ने कोटेशन्स किस भाव के दिये थे?

श्री बनारसीदास—

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

इस उत्तर में मिक्सचर नम्बर १ से ३ के भाव दिये हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो भाव हैं इसमें उर्वरक का मूल्य कितना है और मिक्सचर तैयार करने का खर्चा क्या है?

श्री बनारसीदास—

मिक्सचर बनाने में क्या कास्ट आती है, क्या कमीशन है, यह विवरण इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी बतायेंगे कि मिक्सचर जिस भाव से खरीदा जाता है उसको बेचने में करीब २६० से ३६० प्रतिशत का मुनाफा लिया जाता है इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

ऐसा तो नहीं है लेकिन जो मिक्सचर बनता है उसके अन्दर कास्ट पड़ती है और इस समय यह सवाल विचाराधीन है कि हम किस प्रकार से उर्वरक की कीमत को कम करे, इसकी कमीशन और कास्ट को कम करें ।

श्री विजयसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले वर्षों में मैंने बताया था कि १ करोड़ ४७ लाख रु० के उर्वरक का एकाउन्ट सरकार को नहीं मिल पाया है । तो सरकार बतायेगी कि उर्वरक केन्द्रीय सरकार से ऐग्रीकल्चर विभाग लेता है और कोआपरेटिव के जरिये बटवाता है तो जो अनएकाउन्टेड रुपया है वह कैसे हुआ ?

श्री बनारसीदास—

यह तो नया प्रश्न है ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि उर्वरक जो ३६६ रु० प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किसान को दिया जाता है जब विदेशों से मंगाया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को २०० रु० देना पड़ता है ? तो क्या प्रदेश की सरकार भारत सरकार से कोशिश करेगी कि जो इतना अन्तर है इसको कम कराये ?

श्री बनारसीदास—

इसमें जो पूल प्राइस है वह ३३० रु० है । अवश्य इस बारे में प्रयत्न करेंगे अगर केन्द्रीय सरकार मान जाय ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

इम्पोर्टेड प्राइस २०० रु० है ।

गुरुसहायगंज बीड़ी मज़दूर यूनियन की हड़ताल

*२६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में गुरुसहायगंज बीड़ी मजदूर यूनियन ने इसी नवम्बर व दिसम्बर, सन् १६६३ में बीड़ी मालिकों की ज्यादती और कम वेतन मिलने के विरोध में हड़ताल की थी ? उसका क्या पारिणाम निकला ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । सरकार के प्रयत्नों से दोनों पक्षों के मध्य २५ दिसम्बर, १६६३ को एक समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप यह तय पाया गया कि मामले को मध्यस्थ निर्णय (आर्बीट्रेशन) हेतु प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर को भेज दिया जाय । इस समझौते के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई ।

*३०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस हड़ताल में कितने मजदूर शामिल हुये थे और कितने दिन काम बन्द रहा ? क्या यह सही है कि इस हड़ताल के संबंध में बीड़ी मजदूरों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजा था और सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार करके गुरुसहायगंज से ट्रक में भरकर दूर जाकर छोड़ा था ?

[श्री कोतवालसिंह भदौरिया]

*३१--अगर हां, तो लाठी चार्ज से कितने व्यक्तियों को चोटें आई थीं और कितने जेल भेजे गये और कितने ट्रकों में भरकर दूर छोड़े गये ?

श्री बनारसीदास---

लगभग १० हजार मजदूर शामिल थे और करीब १ माह काम बन्द रहा। पुलिस ने किसी पर न तो लाठी चार्ज किया और न किसी को ट्रक में भरकर दूरी पर छोड़ा। १२१ मजदूर तथा ४ अन्य व्यक्ति, पुलिस द्वारा जेल अवश्य भेजे गये। चूंकि लाठी चार्ज नहीं हुआ, अतः चोटों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि २५ दिसम्बर को यह तय हुआ कि २५ जनवरी को कोई न कोई समझौता करा देंगे ? अब जब कि २ महीने हो गये हैं यह समझौता किन कारणों से, आया मजदूरों की तरफ से या कारखाने वालों की तरफ से नहीं हुआ है ?

श्री बनारसीदास---

यह सही है कि यह काफी समय से चल रहा है। बीड़ी मजदूरों ने हड़ताल की थी। तो इसलिये आपस में पड़कर प्रयास किया गया कि पंच फैसला हो जाय। इस संबंध में हमने प्रयास किया लेकिन इसमें जो बीड़ी बनाने वालों के मालिक हैं, उनकी तरफ से बहुत कुछ हद तक सहयोग का अभाव रहा है। हमारा प्रयास रहा कि इसके अन्दर कोई फैसला किया जा सके।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---

मान्यवर, सरकार को जो सूचना मिली है वह गलत है। पुलिस ने हड़तालियों पर लाठी चलायी और उनको ट्रकों में भर कर दूर भेजा गया। तो क्या सरकार इसको पुनः जांच करावेगी और जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, मेरे पास जो सूचना है, वह तो यह है कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया बल्कि मैं तो स्वयं फर्रुखाबाद गया था और वहां पर मुझसे मजदूर लोग मिले थे। उन्होंने मुझसे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

इस बात को देखते हुए कि आपने एक कोड आफ कन्डक्ट बनाया है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कोड आफ कन्डक्ट के मातहत मालिक और मजदूरों के ऊपर यह बाइंडिंग है कि अगर मालिकों और मजदूरों में कोई समझौता हो गया हो तो उसका पालन उसके संबंध में सरकार के श्रम कमिश्नर कराते हैं ?

श्री बनारसीदास---

जैसा मैंने पहले उत्तर दिया है। हम बराबर प्रयत्नशील हैं कि समझौता हो जाय। यह बीड़ी का उद्योग संकुचित उद्योग तो नहीं है। मजदूर भी बड़े क्षेत्र के अन्दर बटे हुए हैं। इस कारण सम्पर्क स्थापित करना ज्यादा कठिन है। इस पर प्रयास जारी है कि शीघ्र कोई फैसला हो सके।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि आपको सूचना नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे कि इस संकटकाल में अगर बीड़ी मजदूर हड़ताल पर गये तो वहां पर लाठी चार्ज हुआ ? इस सूचना की पूरी जांच करायेंगे ?

श्री बनारसीदास---

यह कई महीने का सवाल हो गया। इसकी जांच की जा चुकी है और दोबारा जांच करने से कोई लाभ निकलने वाला है नहीं।

श्री झारखण्डेराय---

इस बात को देखते हुये कि बीड़ी उद्योग हमारे प्रदेश का एक मुख्य उद्योग बन चुका है और इसमें हजारों गरीब परिवार के लोग लगे हुये हैं और उनके वेतन में पूर्व, पश्चिम और मध्य में काफी अन्तर है तो इस सब को देखते हुये क्या सरकार किसी वेतन मंडल की स्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास---

जहां तक वेतन मंडल का सवाल है, वह तो प्रायः केन्द्रीय सरकर ही नियुक्त करती है। केवल हमारे ही प्रदेश का सवाल नहीं है। दूसरी जगह भी बीड़ियां बनती हैं और जितने वेज बोर्ड हैं सबको केन्द्रीय सरकार ने ही कायम किया है। लेकिन मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और गुसाईगंज जहां-जहां बीड़ी बनती हैं उस संबंध में हम पूर्णतया जागरूक हैं और प्रयत्नशील हैं कि वहां के मजदूरों तथा दूसरी जगहों में जो असमानता पाई जाती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाय।

बरेली क्षेत्र में नानमैट्रिक ए० डी० ओ०

*३२---श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली डिवीजन में कितने ऐसे ए० डी० ओ० हैं जो हाई स्कूल भी पास नहीं हैं और स्थानापन्न बी० डी० ओ० का कार्य कर रहें हैं ? क्या निर्धारित योग्यता के बी० डी० ओ० की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति---

बरेली डिवीजन में केवल एक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) हैं जो हाई स्कूल पास नहीं हैं बल्कि दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा पास हैं और स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहें हैं। निर्धारित योग्यता के क्षेत्र विकास अधिकारी की कोई कमी नहीं है।

[२५ मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---श्री उल्फतसिंह यादव---

[दवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारी बैंक, जिला शाहजहांपुर

*४---श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई सी० आई० डी० पुलिस द्वारा इन्क्वायरी जिला शाहजहांपुर के कोआपरेटिव बैंक की एक बड़ी रकम के गबन में कुछ समय पूर्व मुकर्रर की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है और उसमें गबन करने वालों के नाम बताने की कृपा करेगी और यह कि अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

नोट---तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस

*५—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर), श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के मेडिकल कालेजों में कुछ विभाग के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की आज्ञा है तथा कुछ को नहीं ? यदि हां, तो इस भेद के क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, भेद का कारण यह है कि क्लिनिकल विभाग के डाक्टरों का रोगियों की चिकित्सा से प्रत्यक्ष संबंध रहता है, इसलिये उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की आज्ञा है, किन्तु दूसरी ओर उनका वेतन-क्रम उनके समकक्ष नान क्लिनिकल विभाग के डाक्टरों से, जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की आज्ञा नहीं है, कम है ।

*६—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

विकास खण्ड, जामों

*७—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार ने जनपद, सुल्तानपुर के विकास खंड जामों में एक होमियोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या उसे उस विकास खंड में स्थित जगेसरगंज नामक स्थान में खोलने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

*८—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९-११—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२-१३—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

वाराणसी जिले में पंचायत मंत्रियों का चुनाव

*१४—श्री हरिगैनराम—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में जिला नियोजन कार्यालय में दिनांक ९ फरवरी, १९६४ को पंचायत मंत्रियों के चुनाव हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? कुल

कितने प्रार्थना-पत्र लिये गये और उसमें हरिजनों के कितने थे तथा कुल कितने उम्मीदवार बुलाये गये और उसमें कितने हरिजन उम्मीदवार थे ?

श्री राममूर्ति—

दिनांक ९ फरवरी, १९६४ को कुल १९४ प्रार्थना-पत्र पंचायत मंत्रियों के चुनाव हेतु प्राप्त हुये थे जिसमें १८ प्रार्थना-पत्र हरिजन उम्मीदवारों के थे। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था, किन्तु कुल १२३ उम्मीदवार परीक्षा के दिन उपस्थित हुये जिनमें हरिजन उम्मीदवारों की संख्या १४ थी।

*१५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

[हटा दिया गया।]

फर्रुखाबाद जिले के लिए कोल्ड स्टोरेज

*१६—श्री दयाराम शाक्य तथा श्री लोकपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में प्रस्तावित सरकारी कोल्ड स्टोरेज के विषय में अब तक क्या निर्णय हुआ है तथा अब तक उसका भवन क्यों नहीं बना ?

श्री बनारसीदास—

विभाग द्वारा निर्धारित क्रम सूची के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाये जाने वाले सहकारी कोल्ड स्टोरेजों में फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज का प्रथम स्थान था जिसके निर्माण की अवधि वर्ष १९६२-६३ में रक्खी गई थी। परन्तु विभागीय निर्देशों के अनुसार समिति ढाई लाख रुपये अंशधन नहीं जमा कर सकी और इसलिये सरकार से भी उसे ऋण नहीं दिलाया जा सका। परिणामस्वरूप उक्त सहकारी कोल्ड स्टोरेज व उसके भवन का निर्माण अब तक नहीं हो सका।

*१७-१८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

सहकारी खेती कृषि योजना

*२२—श्री लखीसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी खेती योजना किस साल में राज्य सरकार द्वारा स्थायी की गई और सहकारी खेती योजना में कितने कर्मचारियों के स्थान स्थायी किये गये और किस-किस दर्जे के ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी कृषि योजना १९५०–५१ में आरम्भ हुई । इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल ९४ स्थान स्थायी किये गये हैं । इनका स्थायीकरण १९५६ से १९६२ के बीच किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :—

पद	संख्या	स्थायीकरण की तिथि
१	२	३
उप-निबन्धक	१	१–४–६२
सहायक निबन्धक	२	१ १–४–५६
		१ १–४–६२
निरीक्षक ग्रुप	३	२ १–४–५६
		१ १–४–६२
निरीक्षक ग्रुप २	८	४ १–४–५६
		२ १–४–५७
		२ १–४–६२
सुपरवाइजर–कम–एकाउन्टेन्ट	६०	२० १–४–५६
		३० १–४–५७
		१० १–४–६२
मुख्य–लिपिक	१	१–४–६२
सीनियर–लिपिक	४	१ १–४–५७
		३ १–४–६२
जूनियर–लिपिक	७	१ १–४–५७
		६ १–४–६२
चपरासी	७	१–४–५६
चपरासी–कम–चौकीदार	१	१–४–५७
कुल योग ..	९४	

*२३—श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी स्थायी हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

इस योजना के अन्तर्गत कुल १८ कर्मचारियों का स्थायीकरण हो चुका है । शेष अन्य स्थानों का स्थायीरण विचाराधीन है ।

बेरोजगारी

*२४—श्री [illegible]—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रदेश में रजिस्टर्ड बेकारों की संख्या क्या थी और इस समय कितनी है ?

श्री बनारसीदास—

प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में प्रदेश के एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड बेकारों की संख्या क्रमशः १,११,९८५ तथा २,३७,३८४ थी। इस समय यह संख्या फरवरी २९, १९६४ तक के आंकड़ों के अनुसार ३,९२,०४७ है।

*२५—श्री शारखण्डेराव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रथम तथा द्वितीय योजना में कितने आदमियों को रोजगार दिया गया और तीसरी योजना में कितने लोगों को काम देने का विचार है ?

श्री बनारसीदास—

द्वितीय योजना में लगभग ७,३८,००० लोगों को रोजगार दिया गया तथा ऐसा अनुमान है कि तीसरी योजना में लगभग २२–२३ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रथम योजना से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ?

फतेहपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*२६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में अमौली तथा खजुहा की क्षेत्र विकास समितियों ने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये क्रमशः चांदपुर तथा पूरेदान नामक ग्रामों के लिये शासन से संस्तुति की है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, भवन निर्माण के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जायगा।

*२७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जो जिले के कुछ अधिकारी क्षेत्र समितियों के निर्णयों की अवहेलना कर अन्यत्र स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो जिलाधिकारियों ने किन परिस्थितियों में किन स्थानों के लिये संस्तुति की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह सत्य नहीं है कि जिलाधिकारियों ने क्षेत्र समिति के निर्णयों की किसी प्रकार अवहेलना की है।

*२८—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

[प्रश्न बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

सेवा समिति चिकित्सालय, गांधी पार्क, मथुरा को अनुदान

*२९—श्री लखीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी पार्क, मथुरा नगर में स्थित सेवा-समिति चिकित्सालय को सरकार ने १९६२–६३ व १९६३–६४ में कितनी सहायता ग्रांट प्रदान की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस चिकित्सालय को राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा १९६२–६३ व १९६३–६४ में निम्नलिखित अनावर्तक अनुदान दिये गये :

वर्ष	एलोपैथिक विभाग	आयुर्वेदिक विभाग	होम्योपैथिक विभाग
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१९६२–६३ ..	८,०००	१,०००	५००
१९६३–६४ ..	८,०००	१,०००	५००

*३०–३१—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में किसान मेला

*३२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत हसवा ब्लाक में दिनांक ७ से १४ फरवरी, १९६४ तक ब्लाक अधिकारियों द्वारा आयोजित कृषि मेला हुआ है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने कितना अनुदान दिया है और कितने प्रधानों एवं सरपंचों से कितना-कितना चन्दा लिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, संबंधित क्षेत्र समिति की संस्तुति पर २ से ४ फरवरी, १९६४ तक जिला फतेहपुर के हसवा विकास खंड में किसान मेला आयोजित किया गया था । उसके लिये १,०६७ रु० की राजकीय धनराशि दी गई है तथा ६९ ग्राम पंचायतों ने १०–१० रु० प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से कुल ६९० रु० चन्दे के रूप में दिये हैं ।

*३३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कृषि मेले के लिये प्राप्त अनुदान एवं चन्दा की कुल रकम किन-किन प्रोग्रामों में किस प्रकार से, किस के द्वारा खर्च की गई ?

श्री राममूर्ति—

कुल खर्च रु० १,७४९.९४ नये पैसे का हुआ, इसका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है । यह खर्च सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा एवं पंचायत), सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन), सहायक विकास अधिकारी (उद्योग), सहायक विकास अधिकारी (महिला) संबंधित प्रमुख एवं मेला समिति के सदस्यों द्वारा किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७२–४७४ पर)

*३४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सम्पूर्णानन्द एवार्ड

*३५—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९६४ तक संपूर्णानन्द एवार्ड किन-किन मिलों द्वारा किस-किस सीमा तक लागू किया गया और शेष मिलों में पूर्णतया लागू किये जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री बनारसीदास—

आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७५ पर)

*३६—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार इस बात का अनुभव करती है कि एवार्ड को लागू करने के लिये अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त संबंध में क्या करने जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। संयुक्त औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट में एवार्डों को लागू कराने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को कोई और अधिकार दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

*३७-३९—श्री अहमद बक्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९ वें बुधवार के लिये प्रश्न ७-९ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

*४०—श्री भीखालाल—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बदोसराय में चिकित्सालय की आवश्यकता

*४१—श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के ग्राम बदोसराय, तहसील फतेहपुर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सन् १९५४ या १९५५ ई० में स्वीकार हुआ था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में अभी तक अस्पताल न खोलने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

*४२—श्री घनश्यामदास—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में कब तक अस्पताल खुल जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

औषधालय की स्थापना हेतु, यदि कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा, तो उस पर विचार किया जायगा ।

*४३-४४—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सड़कें

*४५—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की कौन-कौन-सी सड़कें १९६४–६५ के वित्तीय वर्ष में वह बनवाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना संलग्न सूचीं में दी गई है।

बांगरा ब्लाक भवन

*४६–श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊ तहसील के बांगरा ब्लाक के भवन निर्माण के लिए जगह निश्चित कर ली गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त ब्लाक का भवन निर्माण–कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया ? क्या वह निकट भविष्य में शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, बांगरा ब्लाक भवन निर्माण हेतु जगह निश्चित कर ली गई परन्तु उस भूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस दिशा में विभागीय लिखा-पढ़ी चल रही है और आशा है कि निर्माण कार्य के लिये कार्यवाही शीघ्र शुरू की जायेगी।

*४७–श्रीमती बेनीबाई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊ तहसील में बंगरा ब्लाक को खोले कई वर्ष हो गये हैं लेकिन उस ब्लाक पर अभी तक कोई सरकारी जीप नहीं दी गयी जिसके कारण ब्लाक प्रमुख व बी०डी० ओ० को उस ब्लाक क्षेत्र का दौरा करने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार निकट भविष्य में शीघ्र ही उपरोक्त ब्लाक के लिए जीप देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

जीपें विकास खंडों को उनके प्रथम सोपान में दी जाती थीं। उक्त ब्लाक १–१०–६२ को प्रथम सोपान में आया है। और तभी से देश "संकटकालीन स्थिति" में है जिसके कारण नवीन विकास खंडों की जीपों की सप्लाई स्थगित है। यह स्थिति कब तक रहेगी इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

जौनपुर जिले में निर्माण कार्य

*४८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र (जिला जौनपुर) की प्रमुख सड़क जो मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक जाती है, उस पर कंकड़ डालने के लिये दो-दो फर्लांग तक किन–किन ठेकेदारों व प्रधानों को ठेका दिया गया ? उस में अब तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ और कितना काम हुआ ?

*४९—क्या सरकार रामनगर, विकास क्षेत्र जौनपुर को चीरता हुआ जो नाला रानीपुर के पास से जाता है उस पर पुल बनाने की कोई योजना वह कार्यान्वित करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या योजना है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री दयाराम शाक्य--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

२--श्री उल्फतसिंह यादव--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

३-४--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

५--श्री रियासत हुसेन--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

डलई ब्लाक भवन

६-श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में पूरे डलई ब्लाक की बिल्डिंग कहां पर बनाने की स्कीम है ?

श्री राममूर्ति--

पूरे डलई विकास खंड १-१०-६२ को पूर्व प्रसार खंड में परिवर्तित हुआ था। अभी इस ब्लाक की बिल्डिंग बनाने के विषय में क्षेत्रीय समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

७-श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार ब्लाक की बिल्डिंग ऐसे स्थान पर बनाने के लिए विचार करेगी जहां से सारे क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में आसानी हो ?

श्री राममूर्ति--

ब्लाक बिल्डिंग कहां बने, इस विषय पर क्षेत्रीय समिति के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जाता है और इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि बिल्डिंग ऐसे स्थान पर बने, जहां से लोगों को आने जाने में आसानी हो।

८--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

इस बिल्डिंग के लिए कितना धन स्वीकृत है और क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बिल्डिंग में कौन-कौन से भाग रहेंगे ?

श्री राममूर्ति--

इस बिल्डिंग के लिये अभी कोई धन सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। पुराने विकास खंडों में भवन पहले बने, इस आशय से यह निर्णय लिया गया है कि जो विकास क्षेत्र १-४-१९६१ ई० के पूर्व प्रथम प्रक्रम में आये हैं उन्हीं में अगले वित्तीय वर्ष में भवन बनाया जाय। विकास खंड पूरे डलई १-१०-१९६३ ई० को प्रथम प्रक्रम में आया है। अतः उसमें अभी भवन निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ में डिनेचर्ड स्प्रिट के बिक्रेता

९-श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में किन-किन व्यक्तियों को थोक एवं फुटकर विक्रेता लाइसेंस विकृत स्प्रिट का दिया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

लखनऊ नगर के नगरमहापालिका, कैन्टोन्मेन्ट, नोटीफाइड एरिया, आलमबाग तथा चारबाग क्षेत्रों के अन्तर्गत डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की संख्या क्रमशः ५ और ९६ है। इनके नामों की सूची संलग्न तालिका १ व २ में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४७६ पर)

१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकृत स्प्रिट के उक्त फुटकर विक्रेताओं का मासिक कोटा कितना-कितना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना संलग्न तालिका नं० २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४७७-४७८ पर)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इलाहाबाद में हड़ताल

११—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या श्रम मंत्री दिनांक ५ फरवरी, १९६४ के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २३-२४ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इलाहाबाद में दिनांक १९ तथा २० सितम्बर, १९६३ को छात्रों द्वारा क्यों हड़ताल की गयी ?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी० डी० ओज०

१२—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में ऐसे बी० डी० ओ० कौन-कौन हैं जो कि उसी ब्लाक में ३ वर्ष की अवधि से अधिक से काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

इस समय प्रदेश में संलग्न सूची में उल्लिखित १०२ क्षेत्र विकास अधिकारी अपने वर्तमान विकास क्षेत्रों में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४७९-४८१ पर)

रेवती ग्राम का बांध

१३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिला में रेवतीपुर गांव के चारों ओर बांध सड़क बनाने की स्वीकृति सरकार ने दी है ? यदि हां, तो यह सड़क कब बनेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं, रेवतीपुर गांव के चारों ओर निम्न बांध बनाने की योजना भारत सरकार (योजना आयोग) को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शुरू होगा।

राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन कर के सम्बन्ध में याचिकाएं

श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन कर के सम्बन्ध में श्री विन्ध्याचल राम तथा अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है:—

"१—यह कि उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन कर अधिनियम सरकार द्वारा पारित होकर प्रदेश में लागू किया जा रहा है ।

२—यह कि उक्त कराधान मध्यम वर्ग तथा गरीब जनता पर पड़ रहा है ।

३—यह कि स्थानीय निकायों द्वारा अधिकांश नगरों में मकानों पर पहले से ही टैक्स लगाया गया है । जो कि मकान मालिक किरायेदारों से वसूल कर रहा है । दुबारा राज्य सरकार उसी वर्ग पर उसी मद में दोहरा टैक्स लगाने से प्रदेश की गरीब जनता की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो रही है ।

४—यह कि उक्त टैक्स छादक, झोपड़ी तथा छोटे मकानों पर भी लगाया गया है जिससे कि अति गरीब जनता को भी छूट नहीं मिल सकी है ।

५—यह कि उक्त टैक्स लगाने से नवीन मकान बनवाने की वृत्ति समाप्त हो जायगी जिससे कि आवास समस्या और भी भयंकर हो जायगी ।

६—यह कि यदि उक्त कानून वापस न किया गया तो गरीब जनता को मजबूर हो कर बेघरबार होना पड़ेगा ।

७—यह कि अनेक बार जनता द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन कर यह मांग की जा चुकी है कि सरकार द्वारा उक्त कानून अविलम्ब वापस लिया जावे । परन्तु उक्त समाज विरोधी कानून सरकार द्वारा वापस न लेने से जनता में घोर उत्तेजना तथा असन्तोष व्याप्त हो रहा है ।

८—यह कि यदि शीघ्र ही उक्त कानून वापस न लिया गया तो आवास समस्या इतनी भी ग्रस्त हो जावेगी कि भीषण सर्दी, वर्षा तथा लू में गरीबों के बच्चे बेघर हो कर मत्यु की प्रतीक्षा करने के लिये मजबूर हो कर तड़पेंगे। उस दशा में जनताके असंतोष की सीमा न रह कर प्रदेश में विद्रोहाग्नि भड़क सकती है ।

अस्तु, हम याचकों की विनम्र प्रार्थना है कि आदरणीय सदन सरकार को यह आदेश दे कि उ० प्र० भूमि तथा भवन-कर अधिनियम अविलम्ब वापस लिया जाय तथा इसके लिये और भी जो आवश्यक हो वह आदेश दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी याचिका श्री वेदराम द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली है, वह भी वही है या भिन्न है ?

अनेक सदस्य—

वही है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नाथूराम शिक्षक, श्री उल्फतसिंह यादव की याचिकायें भी इसी विषय से संबंधित है, अतः ये चारों याचिकायें मैं याचिका समिति को भेजता हूं ।

सदन द्वारा दण्डित, श्री केशव सिंह, की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश श्री एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश श्री जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान सम्बन्धी पारित संकल्प के कार्यान्वयन हेतु की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना

श्री शारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कल आपने सदन को इस बात की सूचना दी थी कि ५ बजे कमिश्नर ने मार्शल को बुलाया है । तो जो वारेन्ट आपने भेजा था उसको सर्व करने के सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वारन्ट का क्या हुआ और सरकार का क्या रुख है ? सरकार सदन के आदेश को पूरा करने में सहायता दे रही है या नहीं दे रही है ? इसकी आप पूरी जानकारी करायें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, जो वारंट मार्शल लेकर गये उसी सिलसिले में इलाहाबाद के २८ न्यायाधीशों ने लखनऊ के हर पुलिस अधिकारी को रोक दिया है कि इस तरह से वारन्ट की तामील न हो तो प्रदेश में कौन-सा सक्षम अधिकारी है जो इस वारन्ट की तामील करायेगा ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देने से पहले मेरा नम्र निवेदन सुन लीजिये । जो माननीय काशीनाथ जी मिश्र ने आपत्ति उठाई, उसके सबंध में मैं ला आफ कांटेम्प्ट आफ कोर्ट के पृष्ठ ५४५ की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें स्पष्ट लिखा है कि---

"Legislatures have created a set of rules called privileges which have to be maintained by their own rules and, whenever such privileges are threatened or an act of contempt is directed against a Legislature, the delinquent's conduct will be proved into and punished by the very Legislature, without the aid of a Court or Tribunal. If there is any intervention from the outside of a tribunal, that intervention will have no binding effect, on the Legislature concerned."

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, इन अंग्रेजी वालों ने चौपट किया है ।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, श्री लखीसिंह, एक बात मैं निवेदन कर दूं कि हम सब को ध्यान में रखना है कि हम इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठ कर गम्भीर विषय पर विचार कर रहे हैं और गम्भीर विचार करते हुये, अगर बीच बीच में कोई टोकना या बोलना शुरू कर दे तो न हमारा गौरव रहेगा और न विषय की गम्भीरता ही रह जायगी । आप यह कह सकते हैं कि इसका अनुवाद करके वे समझा दें तो वे समझा देंगे । लेकिन इस तरह से बीच में टोकना ठीक नहीं है । माननीय शर्मा जी, आप संक्षिप्त में ही कहिये ।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और उसका मतलब यह है कि अगर लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट हुआ तो उसके ऊपर कोई ट्रिब्युनल या कोर्ट रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है । श्रीमन्,

यह १९६४ का एडीशन है। इसमें साफ लिखा हुआ कि कोई भी बाहर का कोर्ट हमारे फैसले पर स्टे नहीं दे सकता है और अगर दे तो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। आगे आप देखें, श्रीमन्, इसके ५४८ पृष्ठ पर.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी, आप माननीय काशीनाथ जी को बोल लेने दें ताकि उनकी तबीयत भर जाय। तब आप बोलें। (व्यवधान) ईश्वर के वास्ते सुनने दीजिये। बड़ी मुश्किल है, आखिर उनको कहने तो दीजिये। उनके कहने का मतलब यह है कि कोई ट्राइब्यूनल या कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार का प्रतिबन्ध हमारी कार्यवाही के एक्जीक्यूशन में लगायें।

श्री नेकराम शर्मा—

५४८ पेज पर लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें ज्यादा मदद की आवश्यकता नहीं है। जो बात आपने कही उस पर विशेष बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

दो मिनट का मौका दे दीजिये, केसेज साइट करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

केसेज की मुझे आवश्यकता नहीं है।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, रात को ९ बजे के करीब प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्ज ने मुझ से पूछा कि क्या आपने ऐसा आदेश दिया है ? मुझे बड़ा दुख हुआ, इस वास्ते कि मैंने इस सदन में यह कहा था कि मैंने यह जरूर विचार किया था कि आपके आदेश ले लूं मगर आपके पहले के आदेश जो थे वह तो एग्जिक्यूट हो ही रहे हैं। अब मुझे आवश्यकता नहीं है पूछने की। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उन आदेशों को जो पहले हो चुके हैं वापस ले रहा हूं। मैंने सबसे यह कह दिया कि मैंने मार्शल को नहीं रोका है। वह अपना कार्य करेंगे। मैंने आज सबेरे आते ही उनसे उनकी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने लिखित रिपोर्ट दी है। वह रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़े देता हूं:—

"माननीय अध्यक्ष, मुझे दिनांक २३ मार्च, १९६४ को रात में ८.३० बजे श्री बेग, श्री सहगल, श्री सालोमन तथा श्री केशव सिंह के सम्मन प्राप्त हुए। सम्मन प्राप्त करने के पश्चात् मैंने ८.४० पर कमिश्नर, लखनऊ के निवास स्थान पर टेलीफोन सहायता लेने हेतु किया। फोन पर मुझे विदित हुआ कि कमिश्नर इस समय घर पर नहीं हैं।

दूसरे दिन दि० २४ मार्च, १९६४ को प्रातः मैं पुनः कमिश्नर के बंगले पर गया। उस समय वहां मुझे यह बताया गया कि वे लगभग ११ बजे तक मिलेंगे। मैं खाना खाने के लिये अमीनाबाद चला गया। ११ बजे पुनः मैं बंगले पर गया और वहीं बैठा रहा। २.३० बजे दोपहर मैंने कमिश्नर महोदय को वारंट की प्रतियों को दे कर उनसे गिरफ्तारी हेतु सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी मदद दूंगा, आप मुझसे पुनः सायंकाल ५ बजे मिलें।

[श्री अध्यक्ष]

शाम को मैं ५.४० पर पुनः पहुंचा। उस समय वे घर पर नहीं थे। आधा घंटा बैठने के पश्चात् वहीं पर मुझसे कमिश्नर महोदय से टेलीफोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास आपके वारंट तथा कोर्ट के पेपर भी प्राप्त हो गये हैं। मैं इस विषय पर कानूनी सलाह लेना चाहता हूं। आप कृपया मुझ से पुनः कल दि० २५-३-६४ को सायंकाल मिलें।

सूचनार्थ।"

यह कार्यवाही है।

माननीय काशीनाथ ने यह कहा कि माननीय चीफ जज, हाईकोर्ट तथा २७ अन्य जजों ने एक निषेधात्मक आदेश जारी कर दिया है आपके ऊपर। ठीक है। जारी कर दिया है। लेकिन इस सदन के ऊपर कोई निषेधात्मक आदेश जारी नहीं हुआ है। मैं जो कर रहा हूं इस सदन की तरफ से कर रहा हूं। तो इस सदन के ऊपर कोई निषेधात्मक आदेश नहीं है, न इस सदन ने निषेध के खिलाफ कोई बात की है, न यह पाबन्द है। मेरे ऊपर किया है। मैं इस सदन का अंग बन कर कर रहा हूं, वह कर रहा हूं। जो माननीय काशीनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने आदेश जारी किये हैं, किये हों, लेकिन इस सदन के ऊपर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कौन अधिकारी तामील करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि यह आपके ऊपर जो तामील हुआ है वह स्पीकर की हैसियत से है या नाम से है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मदन मोहन वर्मा, स्पीकर लिखा है। लेकिन उसमें यह नहीं है "उत्तर प्रदेश विधान सभा थ्रू दि स्पीकर"। यह फर्क है।

अब यह तो कार्यवाही हो रही है। अब हमें सिर्फ यह देखना है कि कल हमारे सामने एक प्रस्ताव पेश हुआ था ... (व्यवधान) उस सम्बन्ध में माननीय बी० बी० सरन ... (शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी जो आपने मार्शल की रपट पढ़ी है उसके सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आपने अभी कमिश्नर और मार्शल के बारे में एक वक्तव्य पढ़ा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कमिश्नर साहब ने मार्शल को ठीक पांच बजे बुलाया था तो क्या कारण था कि वह ५ बजकर ४० मिनट पर पहुंचे ?

श्री अध्यक्ष—

अब देखिये, वह यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा था ५ बजे आना.....

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए कि ५ बजने में १० मिनट तक मार्शल यहां मौजूद थे। यहां जब प्रश्न उठा तब डिप्टी स्पीकर की आज्ञा से मार्शल आपके पास गये। मैं जानना चाहता हूं कि ४० मिनट की देरी क्यों हुई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, सुन तो लीजि.....ये (शोर)

(व्यवस्था के प्रश्न की कई आवाजें)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

आपने मुझे चांस देने को कहा था।

श्री अध्यक्ष—

मैं कब कह रहा हूं कि चांस नहीं दूंगा।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं जानना चाहता हूं, आपने मार्शल को कमिश्नर के पास भेजा। कमिश्नर ने आपके आदेश का पालन नहीं किया और आगे के लिए उसको टाल दिया। तो क्या सरकार और आप भी इस बात को ध्यान में रखेगी कि कमिश्नर ने किन हालात में और क्यों आपके आदेश का पालन नहीं किया और सरकार उसके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है ?

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आर्टिकिल १६४ क्लाज (२) में लिखा है कि "Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State." यह मिनिस्ट्री जिसके नीचे एग्जीक्यूटिव और रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं और कमिश्नर भी हैं, वह सदन के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, तो इस उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रति वर्तमान मंत्रिमंडल अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा है बल्कि हाईकोर्ट के इंजंक्शन को जो कि २२६ में भी नहीं आता .....

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कह रहे हैं वह मायर साहब ने भी कही है। क्या आप कोई नई बात कह रहे हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह—

जी हां, नई बात कह रहा हूं। यह मामला न तो २११ और न १६४ के अन्तर्गत इस प्रकार लिया जा सकता है .....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये, आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दीपनारायणसिंह—

मैं यह कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल हाईकोर्ट के गैर-जूरिस्डिक्शन के अधिकारों की रक्षा कर रहा है और आप पर उनकी नोटिस सर्व होने दे रहा है, मार्शल पर कर रहा है। मार्शल हमारे हाउस का आफिसर है और इस प्रकार वह अलहदा इस कोर्ट का कन्टेम्प्ट कर रहा है। तो या तो आप उस रिजोल्यूशन को कैरी आउट करावें या इस्तीफा दें।

*श्री कमलासिंह यादव—

प्वाइंट आफ आर्डर, जब सार्जेन्ट को श्रीमन् ने कमिश्नर के पास भेजा आदेश का पालन करने के लिये तो वह कहने लगे कि आप के आदेश पर वह लीगल ओपीनियन ले लेंगे तो बतलावेंगे और इस प्रकार कमिश्नर ने उसको टाल दिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्या कंटेम्प्ट आफ दि हाउस नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो वही प्रश्न है जो उठाया जा चुका है। आप उसी को रिपीट कर रहे हैं।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी जो रपट आपने पढ़ी उससे यह स्पष्ट हो गया कि आप का सम्मन जो हाउस का निर्णय था वह माननीय न्यायाधीशों पर अभी तक तामील नहीं हुआ। २१ तारीख का निर्णय है और २५ तारीख तक आप उसको कार्य रूप देने में सक्षम नहीं हुये और हाईकोर्ट के २८ जजों ने जो फैसला किया वह आप पर तामील हो गया। आपका नहीं हुआ। आपने कहा था कि अगर आप तामील नहीं करा पावेंगे और हाउस के निर्णय को कार्यान्वित नहीं करा पावेंगे तो आप इस्तीफा दे देंगे। तो वह इस्तीफा आप कब दे रहे हैं ? या तो आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिये नहीं तो आप इस्तीफा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप घबड़ाइये नहीं। जब नहीं करा पाऊंगा तो वह आयेगा।

सदन द्वारा दण्डित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश श्री एन०यू० बेग और माननीय न्यायाधीश श्री जी०डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान सम्बन्धी पारित संकल्प का संशोधन

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं। इसके लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

अनेक सदस्य—

प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री ब्रजभूषणशरण—

प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"इस सदन ने २१ मार्च, १९६४ को यह मत प्रकट किया था कि श्री केशव सिंह, श्री बी० सालोमन तथा माननीय न्यायाधीश सर्वश्री नसीरुल्ला बेग व जी० डी० सहगल ने इस सदन का अवमान किया है, अतः सदन के समक्ष उन्हें उपस्थित किया जाय। सदन ने उपरोक्त व्यक्तियों को अपनी सफाई में जो कुछ उन्हें कहना हो उसका अवसर देने के लिये ही सदन के सामने बुलाया है। सदन ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मंजूर किया है उस पर यह शंका की जा रही है कि उसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि उन सज्जनों को उस प्रस्ताव के द्वारा उपरोक्त सफाई प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित किया है। इस सदन का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उच्च न्यायाधीश पर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान करने का आरोप हो तो उसका निर्णय किसी और व्यक्ति द्वारा की गयी अवहेलना या अवमान से भिन्न प्रकार से किया जाय। अतएव सदन यह निश्चय करता है कि उपरोक्त व्यक्तियों को नियमित प्रकार से सफाई का अवसर दे कर अवमान का अन्तिम निर्णय किया जाय।"

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस प्रस्ताव के बारे में प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि वह पास नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री बृजभूषण सिंह—

और मेरा निवेदन है कि नियम ३१५ में यदि कोई नियम इसमें बाधक हों तो उनको आप निलंबित करें। (व्यवधान)

***श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)**—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे सदन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, यद्यपि मैंने उस प्रस्ताव का उस दिन विरोध किया था, लेकिन जब प्रस्ताव सदन से पारित हो चुका तो वह लेजिस्लेचर का प्रस्ताव है। यह ७ करोड़ जनता के प्रतिनिधियों का प्रस्ताव है, इसलिये इस के विरोध में कोई दूसरा प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना लोकतंत्र की परम्पराओं का हनन करना है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को लेने की अनुमति न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपने किसी नियम का हवाला नहीं दिया।

***श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—

मेरा कहना यह है कि जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २८९ (ङ) की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें है "सदन के विनिश्चय की, ऐसे अवसर को छोड़ कर, जब उसके निरसन का प्रस्ताव विचाराधीन हो, आलोचना नहीं करेगा।" और इसके बाद श्रीमन्, मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज ४१५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें है कि अगर कोई मोशन पारित हो चुका है तो उसका एफरमेटिव या निगेटिव उस सब्सटेंशियल मोशन के खिलाफ नहीं आ सकता है। वह इस प्रकार है :—

"That a question being once made and carried in the affirmative or negative, cannot be questioned again, but must stand as a judgment of the House."

इसके आगे है :

"and rescission is opposed, certainly, to the spirit of the existing rule that no question shall be offered which is substantially the same as one on which judgment has been expressed during the current session."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

मेरा कहना यह है कि इसमें इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर इस सदन में एक प्रस्ताव पास हो गया है तो उसका केवल निरसन आ सकता है। उसके खिलाफ कोई दूसरा सब्सटेंशियल मोशन नहीं आ सकता करेंट सेशन में। इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को न लें और अपनी स्पष्ट व्यवस्था दें कि जबतक इस प्रस्ताव का निरसन नहीं होता तबतक कोई दूसरा प्रस्ताव इस सदन में नहीं लाया जा सकता।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैंने कल एक प्रस्ताव दिया था, उसके लिए आपने कोई समय निश्चित किया है ?

श्री अध्यक्ष—

आज के कार्यक्रम के बाद, जब यह समाप्त हो जायगा तो ले लूंगा।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब न्यायपालिका और हमारे बीच में एक संघर्ष हो रहा है तो हम कोई ऐसा काम न करें कि हमें पुनः कोई स्पष्टीकरण पेश करना पड़े। इसलिए जहांतक रूल्स आफ प्रोसीजर का ताल्लुक है इसमें दो प्रक्रियाएं हैं प्रस्ताव लाने में। नियम ११३ और १०७ आप देखें। ११३ के अन्तर्गत बिना सूचना के प्रस्ताव १० हालतों में आ सकता है, उनमें एक भी हालत या शर्त माननीय शरण जी का प्रस्ताव पूरी नहीं करता है, इसलिये नियम ११३ के मातहत इसको नहीं ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस प्रस्ताव को पढ़े देता हूं। आप सुन लें, फिर कहियेगा।

श्री रामायणराय—

पहले आप मेरी बात सुन लीजिये। नियम १०६, १०७ के अनुसार एक सूचना होनी चाहिए प्रस्ताव की। उसमें बतलाया गया है कि विधि क्या है। आप नये प्रस्ताव पर कब विचार कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न जो कुछ दिनों पहले पारित हो गया है और कुछ लोग इस पर तुले हुए हैं कि सदन से गलत काम करायें, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। इस समय हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कल मुख्य मंत्राणी ने आश्वासन दिया था कि नियमों को देख कर प्रस्ताव लायेंगे।

एक सदस्य—

देखिये, इधर कनवैसिंग हो रही है माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मालूम कि कन्वेंसिंग हो रही है। (व्यवधान)

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, कहा जा रहा है कि कोई स्पष्टीकरण किया जा रहा है, मगर यहां प्रस्ताव पारित हो रहा है। सफाई करने की प्रक्रिया दूसरी होती है। १४३ आर्टिकिल के मातहत राष्ट्रपति को यह मामला भेज कर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात समझ गया। मैं प्रस्ताव को पढ़ दूं ताकि आप सब जान जायें कि वह है क्या ? प्रस्ताव यह है—"इस सदन नें २१ मार्च, १९६४ को यह मत प्रकट किया था कि श्री केशव सिंह, श्री बी० सोलोमन तथा माननीय न्यायाधीश सर्वश्री नसीरूल्ला बेग तथा जी० डी० सहगल ने इस सदन का अवमान किया है, अतः सदन के समक्ष उन्हें उपस्थित किया जाये। सदन ने उपरोक्त व्यक्तियों को अपनी सफाई में जो कुछ कहना हो उसका अवसर देने के लिये ही सदन के सामने बुलाया है। सदन ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मन्जूर किया है उस पर यह शंका की जा रही है कि उसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि उन सज्जनों को उस प्रस्ताव के द्वारा उपरोक्त सफाई प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित किया है। इस सदन का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि यदि किसी उच्च न्यायाधीश पर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान करने का आरोप हो तो उसका निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा की गई अवहेलना या अवमान से भिन्न प्रकार से किया जाय। अतएव सदन यह निश्चय करता है कि उपरोक्त व्यक्तियों को नियमित प्रकार से सफाई का अवसर देकर अवमान का अन्तिम निर्णय किया जाय।"

(व्यवधान)

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को आपने पढ़ा है और माननीय शरण साहब ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं टेक्निकल ग्राउन्ड पर, कान्सटीट्यूशनल ग्राउन्ड पर और राजनीतिक ग्राउन्ड पर। (व्यवधान) हमारे रूल्स की दफा १०३ में है कि—

"When a resolution has been moved, no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months from the date of the moving of the earlier resolution."

मैं समझता हूं कि यह नियम बिलकुल साफ है। इसको आप देख लें और तब अपना फैसला दें।

इसके अलावा राजनैतिक ग्राउन्ड पर भी मैं इसका विरोध करता हूं। इस रिजोल्यूशन में यह कहा गया है कि हम कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, कुछ हमसे जल्द-बाजी में हो गया, हमको उस पर सोचने का मौका नहीं मिला, इसलिये जो रिजोल्यूशन पास हो गया है उसका यह अर्थ निकलता है, उसके बारे में हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो उसके लिये उस प्रोसीज्योर को एडाप्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, वह तो आप ही कर सकते थे, और हम सब लोग उसको मान लेते। आप जो बात कहते हैं वह अखबारों में जाती है, प्रोसीडिंग में छपती है, उसका कुछ मूल्य होता है। तो आप सफाई उसको कर सकते थे और हम लोग उसको स्वीकार कर सकते थे। प्रत्येक दल उसको मानता। अपने दल की ओर से मैं यह कह सकता हूं कि हमारा यह बिलकुल ही इरादा नहीं था कि किसी को बुलाकर बगैर उसकी बात सुने हुए, हम उसको सजा दे देते। हमारा मकसद सिर्फ यह था कि वह यहां आ जाय, आकर अपनी बात कहें। दो मिनट में कहें या ज्यादा देर में कहें और उसके बाद उनसे हम लिखित भी ले सकते थे। इसलिये मैं अपने दल की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि हम उनके साथ कोई अन्याय करने नहीं जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर आप किसी स्पष्टीकरण को आवश्यकता समझते हैं तो आप कर दीजिये हम उसका समर्थन करेंगे और दुनिया के सामने वह बात चली जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

लेकिन मैं समझता हूं कि इस रिजोल्यूशन को लाने का मकसद केवल स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि अगर स्पष्टीकरण होता तो इस रिजोल्यूशन को लाने की आवश्यकता ही न थी। इस रिजोल्यूशन को लाने का एक ही मकसद है और वह यह कि इस पूरे सवाल को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाय। जब आप यह कह रहे हैं कि इसको नियमित तरीके से कीजिये तो उसका मतलब यह है कि जो कुछ अब तक हुआ वह अनियमित हुआ। और वह नियमित तरीका यही हो सकता है कि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को दे दिया जाय। लेकिन सदन का यह साफ मत था कि जजों को यह सदन स्वयं सुने और प्रिविलेज कमेटी को यह मामला न भेजा जाय। लेकिन इस रिजोल्यूशन के द्वारा आप उससे बिलकुल उल्टा ही कर रहे हैं। प्रिविलेज कमेटी को देने का मतलब यह है कि मामला बिलकुल उलट जाय। वहां मीटिंग होगी, कागजात मंगाये जायंगे, एक तारीख को न आयेंगे तो दूसरी लगायी जायगी, कई महीने ही नहीं साल भी लग सकता है, इसलिये जो कुछ हमने पास किया था उससे मामला बिलकुल ही उलट जायगा। (व्यवधान) मैं ईमानदारी से अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं। और लोगों की राय मुझसे अलग हो सकती है मैं उनकी राय की रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन हमारी राय है, हमारी फीलिंग है, मुमकिन है कि वह गलत हो, लेकिन मुझे अपनी राय और फीलिंग को पेश करने का मौका तो दिया जाय। मेरी ऐसी राय है कि यह प्रिविलेजेज कमेटी में जायगा। अब मसला क्या है? मसला यह नहीं है कि हमारा प्रोसीज्योर गलत है। अगर प्रोसीज्योर गलत है तो अन्त में वह करेक्ट हो जायगा। अगर प्रोसीज्योर गलत है तो कहीं न कहीं जाकर, किसी न किसी अथारिटी या किसी न किसी ट्रिब्यूनल के पास जाकर वह ठीक हो जायगा और यह साबित हुआ कि प्रोसीज्योर गलत है तो उसे हम मान भी लेंगे कि इसमें गलती है। लेकिन सवाल प्रोसीज्योर का नहीं है, सवाल तो बुनियादी एसेंस आफ दि मैटर का है। और, जब प्रिविलेजेज के सवाल को इसलिये लाया जाय कि वह साल ६ महीन तक कमेटी के सामने लटकता रहे और अन्त में उसमें से नतीजा कुछ न निकले...

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

इनके लिये समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, असली सवाल यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार मुसीबत में आ गयी है...

श्री अध्यक्ष—

यह आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं?

श्री जेड० ए० अहमद—

मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हमारी सरकार में जितने महापुरुष हैं उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मुसीबत सरकार के लिये यह है....

श्री अध्यक्ष—

यहां तो प्वाइंट आफ आर्डर रेज हुआ है।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैं तो इस रेजोल्यूशन पर बोल रहा हूं। मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल था।

श्री जेड० ए० अहमद—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज हुआ है .....

श्री कमलासिंह यादव—

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री जेड०ए० अहमद से) अगर आपका प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है तो आप बाद को बोलेंगे ।

श्री जेड० ए० अहमद—

अगर प्वाइंट आफ आर्डर पर ही बोलने का मुझे मौका मिलेगा तो मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर ही मान लिया जाय लेकिन मुझे ५ मिनट का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

बाकायदा रेजोल्यूशन पेश हो जाय तो आप बोल लेंगे । ५ मिनट आपको मिलेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है, उसे आप पहले सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय, श्री जेड०ए० अहमद व दूसरे माननीय सदस्यों ने जो यह बात कही कि यह सदन सक्षम नहीं है अपनी नियमावली के नियम १०३ के अन्तर्गत कि कोई भी प्रस्ताव जो उसके द्वारा पास हुआ है, उसे सदन ६ महीने तक दोबारा नहीं ला सकता, इसके साथ ही साथ हम अपने नियमों द्वारा सक्षम हैं कि इस तरह का प्रस्ताव लायें जैसा कि माननीय सदस्य शरण जी ने पेश किया है, और उस प्रस्ताव की मैं ताईद करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस तरह से सदन अपने नियमों को बनाने में सक्षम है उसी तरह से वह उनको हटाने में भी सक्षम है ।

***श्री कमलासिंह यादव—**

जहां तक नियम १०३ का संबंध है उसे डाक्टर साहब ने पढ़ दिया है । अब नियम ११४ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"114. A motion must not raise a question already decided—A motion must not raise a question substantially indentical with one on which the Assembly has given its decision in the same session or within the last six months, whichever is earlier :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

Provided that nothing herein contained shall, unless the Speaker otherwise directs, be deemed to prevent the making of any of the following motions, namely —

(*a*) a motion for the taking into consideration or the reference to a Select Committee or a Joint Select Committee of a Bill where an amendment has been carried to a previous motion of the same kind to the effect that the Bill be circulated or re-circulated for obtaining opinion thereon :

(*b*) a motion made after return of Bill by the Governor for consideration of the Assembly, for an amendment relevant to the point or points referred for reconsideration;

(*c*) a motion for the amendment of a Bill which is consequential on or designed merely to alter the drafting of another amendment which has been carried."

इसक बाद में नियम ११० की ओर श्रीमन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा है—

"110. No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate any matter shall ordinarily be permitted to be moved."

यह हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इस पर २-२ रिट आ चुके हैं, इसका राष्ट्रपति ने भी कागनिजेंस लिया है और उन्होंने यह मामला अटार्नी जनरल के पास राय के लिये भेजा है जैसा कि हमें अखबारों से मालूम हुआ है । अब आप का प्रस्ताव जो पास हो चुका है और जो कार्यवाही कोर्ट्स में हो रही है और जिसके नोटिस भी आप के पास आ चुके हैं और जो चीजें आलरेडी डिसकस हो चुकी हैं उसके बाद प्रस्ताव जो सदन के सामने पेश हुआ है उस पर विचार नहीं हो सकता और न कोई दूसरा प्रस्ताव इस तरह से आ सकता है ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

यह जो सवाल उठाया गया है इस के संबंध में हाउस आफ कामन्स का निश्चित मत है और इस मत को सभी डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर मानते हैं और "House of Commons is the master of its procedure" यानी हाउस अपने कार्य संचालन का स्वयं मालिक है । तो यह जो रूल है इस की रोशनी में हम जो रूल कोई बाधक भी है तो उस को ससपेंड भी कर सकते हैं और उस को अवहेलना भी कर सकते हैं । इसलिये जो रूल पढ़कर सुनाया गया है वह इस प्रस्ताव को लाने में बाधक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक चीज और पढ़ दूं फिर कोई बोले । नियम ३०० का खंड (३) यह है "उपनियम (१) तथा (२) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उसपर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा ।"

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आप की सहूलियत के लिये एक चीज कहना है और वह यह है कि एक ऐसा मामला है कि जिस की ओर सारी दुनिया और देश की निगाह है, वह लेजिस्लेचर और जुडीशियरी का झगड़ा है । मैंने कल भी कहा था और आज भी मेरी सिंसेरिटी है....

श्री अध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप अलग बात कर लें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा यह निश्चित मत है कि यह प्रस्ताव अब नहीं आ सकता....

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह एक ही पार्टी से अब दूसरा भाषण होने लगा ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव—

इसमें हमारा नियम १०३ बाधक है और न तो उस में अब कोई संशोधन आ सकता है और न कोई दूसरा प्रस्ताव ही आ सकता है और यह स्पष्टीकरण जो किया जा रहा है यह अवैधानिक है ।

श्री अध्यक्ष—

यह रिजोल्यूशन नहीं है, रिजोल्यूशन उस समय आता है जब कि वह बैलट से आये, यह तो प्रस्ताव है और नियम १०७ के अनुसार सूचना लिख कर आ गई है और दूसरे आप ने जो प्रस्ताव पहले पास किया है उसी का यह एक स्पष्टीकरण है और इसलिये मैं इसको नियमित करार देता हूं । अब इस पर बहस होगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप किस नियम के अन्तर्गत इसे स्पष्टीकरण मान रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मोशन नियम १०७ में आता है और उसके अनुसार उन्होंने लिख कर नोटिस दिया इसलिये मैंने उसी में इस को स्वीकार किया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है आपने कहा है कि संकल्प और प्रस्ताव या रिजोल्यूशन और मोशन में फर्क है । मैं आप को परिभाषा से बतलाना चाहता हूं कि.....। तो इस तरह से आप संकल्प और प्रस्ताव में फर्क नहीं कर रहे हैं .....

(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय—

श्रीमन्, देखें कि उधर बनारसी दास जी एक माननीय सदस्य को थ्रेट कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब मैंने इस को नियमित करार दे दिया है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ आपसे दरख्वास्त है कि मैं आप से ४ मिनट चाहता हूं। इस देश की व्यवस्था के लिये हम इस सदन में आये हैं और मैं यह प्वाइंट रेज कर रहा हूं और मैं आप को और सदन को कनविन्स कर सकता हूं कि यह जो प्रस्ताव लाया जा रहा है यह सुपरफ्लुअस और मीनिंगलेस है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको बोलने दूंगा लेकिन शर्त यह है कि प्रस्ताव पास जो हो चका है उसके समर्थन में जो कहना है वह आप कह दें और जो संशोधन रखना है वह....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मैं उसी प्वाइंट पर दरख्वास्त करने जा रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं प्रस्ताव को राय के लिये रख दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि.....

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, क्या इतनी जोर से कोई प्वाइंट आफ आर्डर कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

तो फिर शरण जी आप कहिये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

आप हमारी बात सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इस तरह के प्रस्ताव इस सदन में नहीं आ सकते । इस संबंध में जो नियम हैं.....

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मेरा एक निवेदन है.....

श्री रामायणराय---

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

व्यबस्था समाप्त हो गयी । जो व्यवस्था का प्रश्न आपको उठाना था वह पहले उठा लिया ।

श्री बृजभूषणशरण---

मालूम नहीं मेरे दोस्तों को इतना जोश किस बात का है । जो रिजोल्यूशन उस दिन हाउस ने पास किया है....

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

श्रीमन्, सांठ-गांठ करके उन्होंने सदन का अपमान किया है इसलिये इनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहिये और स्पीकर के खिलाफ होना चाहिये क्योंकि अभी तक वे इम्प्लीमेंट नहीं कर पायें हैं।

*श्री दृजभूषणशरण---

जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें एक शब्द का भी संशोधन करना हमने उचित नहीं समझा। मैं यही कह रहा था कि जो प्रस्ताव के बारे में शंकायें हो रही हैं सिर्फ उसके क्लेरीफिकेशन के लिये प्रस्ताव रखा है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर मत ले लिया जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, इसमें हमारा संशोधन है। मैं माननीय बृजभूषण शरण की तारीफ करता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन इस प्रस्ताव में नीचे एक वाक्य जोड़ दिया जाय कि २१ मार्च को श्री केशव सिंह की पुनः गिरफ्तारी और माननीय नसीरुल्लाह बेग और माननीय सहगल को हिरासत में लाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको यह सदन वापस लेता है।

(शोर : नहीं, नहीं)

श्री अध्यक्ष---

यह जो संशोधन आपने रखा है दो कारणों से अनियमित है। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको वापस लेता है और आगे आपने लिखा है कि विरोध प्रकट करता हूं। दोनों बातें नियमों के विरुद्ध हैं इसलिये यह अनियमित है।

अब जिसको प्रस्ताव पर बोलना हो बोले।

श्री रामायणराय---

मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न आप नहीं उठा सकते हैं। मैंने इसको नियमित करार दे दिया है।

*श्री जेड० ए० अहमद---

यह जो प्रस्ताव है, उसका असली मकसद नहीं है कि स्पष्टीकरण किया जाय। उसका असली मकसद इस पूरे मसले को उलझाने का है और उसका कारण, जैसा मैंने कहा, यह है कि आज सरकार अपने आपको बड़ी डिफिकल्टी और मुसीबत में पाती है। एक तरफ जुडिशियरी का हुक्म है और दूसरी तरफ हाउस का हुक्म है। किस को माना जाय, किसको न माना जाय? मैं समझता हूं कि सरकार को इस सदन ने बनाया है। वह बहुमत जो सरकार का है इस सदन को रिप्रजेन्ट करता है। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी हो, किसी ओर के कुछ भी आर्डर हों, जो असेम्बली और इस सदन के आर्डर हैं, उनको प्रायरिटी देकर उसके आर्डर को, उसके प्रस्ताव को, उसके मोशन को अमल में लाने के लिए पूरी तौर पर, अध्यक्ष महोदय, आपकी मदद करनी चाहिये। अगर आज सरकार इस आर्डर को एक्जीक्यूट करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

आपको सिविल फोर्स की मदद नहीं देती तो आप इस को एक्जीक्यूट नहीं कर पा सकेंगे। तो इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। पिछले ४ दिनों से मसले को टाला जाता है। मन्डे के दिन हम से कहा गया कि एक दिन का टाइम मिल जाय तो मसले को सुलझायेंगे और चीफ जस्टिस से बात हुई। हम चाहते हैं कि मसला सुलझ जाय। हमारे चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद में जाकर अपने २८ आदमियों से खुल्लमखुल्ला आपको चैलेन्ज कराया। हमने देखा कि वहां जाकर मसले को उलझाया गया और हमारे हाथ-पांव बांध दिये गये। सरकार को चाहिये कि वह हमारे अध्यक्ष महोदय को पुलिस फोर्स दे और उनको गिरफ्तार करके यहां लाया जाय। इतना बड़ा सदन बैठा है। सब की ही लगभग एक राय से वह प्रस्ताव हो चुका है। (व्यवधान) कहा जाता है कि आज जायेंगे, ५ बजे जायेंगे, यह माफ कीजिये, एक खिलवाड़ हो रहा है। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि ४ बजे से पहले पुलिस फोर्स देनी चाहिये श्री अध्यक्ष को जो कि उन हजरात को यहां पर लावें। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं कुछ जजबात में नहीं कह रहा हूं लेकिन यह इतनी बड़ी असेम्बली और इतने सुन्दर श्री स्पीकर हैं। पर वे सटपटा रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, आपके लिये "सटपटाना" शब्द कहना अपमानसूचक है।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप कह रहे हैं। अध्यक्ष अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिये कुछ न कहा जाय तो अच्छा है।

श्री जेड० ए० अहमद---

यह साहित्यिक बात है। दूसरी तरफ जुडीशियरी ने अपनी तलवारें हमारी गर्दन पर रख दीं। सारी दुनियां जानती है, जज भी जानते हैं कि सदन के अन्दर उन बातों के आधार पर हमारे ऊपर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का सवाल नहीं उठ सकता लेकिन जुडीशियरी ने उठाया है। आपको, सबको और शरण साहब को वह बन्द करना चाहती है। हम जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को मानते हैं लेकिन इस बात को हम नहीं भूल सकते कि आज हिन्दुस्तान की जुडिशियरी का वह ट्रेडीशन नहीं है जो ब्रिटिश जुडीशियरी का था। उसका ट्रेडीशन वही है जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडीशन कहलाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अंग्रेजी राज्य की जुडीशियरी बहुत अच्छी थी जो वाइसराय से पूछ कर फैसले किया करती थी। यह रिमार्क वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप काशीनाथ जी इस तरह से बोलेंगे तो फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री जेड० ए० अहमद---

मेरी दरख्वास्त अन्त में यही है कि जो ओरिजिनल प्रस्ताव है उसे अपनी जगह रहना चाहिये। हमें दो-तीन दिन इन्तजार करना चाहिये और ऊपर से कोई हस्तक्षेप किया जाय तो देखा जायगा।

*श्री रामायणराय---

माननीय शरण जी के प्रस्ताव का यही मंशा है कि जजों को जिनको समन किया जा रहा है है उनको सुनने का मौका नहीं दिया गया कि वे अपनी सफाई पेश करें उस अव्यवस्था को दूर करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। नियमों के अन्तर्गत तो इस प्रस्ताव को नहीं आना चाहिये था लेकिन आपने व्यवस्था दे दी और निश्चय कर लिया कि वह ग्राह्य है तो उस सम्बन्ध में फिर से प्रश्न उठाना उपयुक्त नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि जिन लोगों ने संविधान की रचना की उनकी हमारे प्रिविलेजेज के बारे में क्या भावना थी उसे देखने की कृपा करेंगे तो ज्ञात होगा कि आज हमारे सामने कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे इस पर प्रकाश पड़ सकेगा। यह आठवां वाल्यूम है संविधान असेम्बली का और डाक्टर अम्बेदकर ने हमारे प्रिविलेजेज के बारे में साफ-साफ अपने विचार व्यक्त किये हैं कि हमारे अधिकार-क्षेत्र में कोई भी न्यायालय दखल नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रोपोजीशन को मान कर ही इस हाउस ने यह रिजोल्यूशन पास किया है।

श्री रामायणराय—

इस प्रोपोजीशन को मान कर हाउस ने वह प्रस्ताव पास कर दिया तो फिर इस सफाई की आवश्यकता क्या थी? आपको अधिकार था कि हम कोई प्रस्ताव पास करते हैं और उसमें कोई शब्द या वाक्य ऐसा हो जिससे उसकी भावना व्यक्त न होती हो तो आप स्वयं अध्यक्ष पीठ से उसकी सफाई पेश कर सकते थे। हमारे प्रस्ताव पास करने के बाद, हमारी मंशा चाहे जो कुछ भी हो, साफ-साफ मतलब यह लगाया गया है कि हम द्रविड़ प्राणायाम करने और हाथ घुमाकर नाक पकड़ने जा रहे हैं। जाहिर है कि जनता पर इसका असर यह पड़ेगा कि विधान सभा अपने पारित प्रस्तावों को पालन कराने में सक्षम नहीं है, शक्तिहीन हो रही है और सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिये था, जैसी की आपने सूचना दी, शायद उस मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा है। मार्शल जाता है और कमिश्नर से मुलाकात मुश्किल से होती है, जबकि यह इतना अहम मामला है कि पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति के सामने इसकी चर्चा हो रही है। लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उसका निवारण होना चाहिये। वह यह है कि विधान सभा के केवल विशेषाधिकार के मामलों में ही नहीं बल्कि न्यायालय जो अन्य अधिकार क्षेत्र हैं उनके उलटने का भी प्रयास कर रहे हैं।

हमारा देश अशिक्षितों का है। उसमें यह भावना फैलाई जा रही है। हम किसी विशेष अधिकार के लिये संघर्षशील हैं, यह प्रश्न बैकग्राउन्ड में पड़ गया है। अगर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने इस तरह से लीपा-पोती की तो हमारे पवित्र अधिकारों के ऊपर जो उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था और सुन्दर तर्क प्रस्तुत किये थे, आज सफाई के बाद लोग यह समझेंगे कि हमने जल्दी में फैसला किया। मैं समझता हूं कि अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो सदन की गरिमा गिरेगी।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शरण जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह ऐसा है कि न तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं और न विरोध ही कर सकते हैं। इसमें बहुत सफाई के साथ कहा है कि विधान सभा ने गलती कर दी और २१ मार्च के प्रस्ताव को हम वापस ले रहे हैं। उनका मंशा यह है कि विधान सभा से बहुत बड़ी भूल हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिये था। उसी के परिमार्जन के लिये यह प्रस्ताव है और उसी सिलसिले में और सफाई करते हुये उन्होंने कहा है कि इसको कमेटी को भेज दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह कहां कहा है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि जो न्यायाधीशों के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है कि माननीय सालोमन, बेग साहब और सहगल साहब की गिरफ्तारी का जो आदेश हुआ उसको वापस लेने के वाक्य को और इसमें जोड़ दिया जाय। अगर खेद वाली बात भी जोड़ दी जाती है तो हमें समर्थन करने के लिये आसानी हो जायगी। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब कह रहे थे कि अपने प्रोसीजर के लिये हम सक्षम हैं और जो प्रस्ताव करते हैं उसको सुधार भी सकते हैं। यह ठीक है इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जब विचार करके प्रस्ताव करने जा रहे हैं तो इसके माने साफ होते हैं कि २१ तारीख को जो कार्यवाही की है वह भावावेश में की है और बहुत उतावलेपन में की है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें इस वाक्य को जोड़ा जाय क्योंकि जो केन्द्रीय सरकार के ला मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वही तर्क दिये हैं जो मैंने दिये थे। २२६ आर्टिकिल के अन्दर हाईकोर्ट को पावर है और केवल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप और बहस करने लग गये। यह गलत बात है। प्रस्ताव पर ही बोलिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस प्रस्ताव के अन्दर यह-यह बातें अगर जोड़ दी जाती हैं तो यह प्रस्ताव बहुत साफ हो जायगा। डाक्टर जेड० ए० अहमद कह रहे थे कि अंग्रेजी राज्य के जज बड़े अच्छे थे। अंग्रेजी राज्य के जज वाइसराय से राय लेकर कई मुकदमों में फैसला किया करते थे। आज हिन्दुस्तान की जुडीशियरी इंडिपेंडेट है। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने यह दूसरा कंटेम्प्ट किया है। इस देश की जुडीशियरी पर ऐस्पर्शन किया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि डाक्टर जेड० ए० अहमद ने उन्हीं भावनाओं को प्रदर्शित किया जो इस स्पष्टीकरण के अन्दर निहित हैं। उन्होंने फर्माया कि कभी भी यह मंशा नहीं थी इस सदन की कि कोई जज साहबान की बेइज्जती की जाय। केवल यह मंशा थी कि हाउस यह समझता था और समझता है कि उन्होंने केशवसिंह जी को बेल दे कर हाउस का कंटेम्प्ट किया है। हाउस चाहता था कि उनको यहां बुलवा कर मौका दिया जाय कि वह अपनी बात यहां आकर कहें। मैंने कहा कि इसके अन्दर शंका की बात है, हालांकि मुझे आज भी शंका नहीं है साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि उनको मौका दिया ही जाय, लेकिन नैचुरल जस्टिस की बात होती है। अगर किसी को शंका हो तो उसको दूर करने के लिये अगर स्पष्टीकरण किया है तो यह कहना कि कोल्ड स्टोरेज में डाल रहे हैं यह मैं सही नहीं मानता। उन्होंने एक बात यह भी कही कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन करने में कमजोर है। यह भी आपने प्री-मेच्योर बात कही। अब भी अध्यक्ष के लिये डिस्क्रिशन दिया गया है कि वह अवसर प्रदान करें जज साहिबान को कि जो कुछ वह कहना चाहते हैं आकर कहें। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हाउस ने अपने को इस अधिकार से वंचित किया है, या वह आगे चल कर कोई काम नहीं कर सकता। डाक्टर अहमद ने यह भी कहा कि २८ जजों ने जो स्टे आर्डर इश्यू किया है वह एक चैलेंज दिया है इस लेजिस्लेचर को। मैं उनकी इस बात को मानता हूं लेकिन एक बात जानना चाहता हूं। यह कांस्टीट्यूशनल चैलेंज है। जुडीशियरी और लेजिस्लेचर में एक कांस्टीटयूशनल कंफ्लिक्ट आ गया है। लकिन कांस्टीट्यूशनल चैलेंज को कांस्टीट्यूशनल तरीकों से ही तो मीट करेंगे। मैं डाक्टर साहब को यकीन दिलाता हूं कि आज भी हाउस की सावरेंटी को इंफ्रिज करने की ताकत किसी कोर्ट को नहीं है।

लेकिन एक चीज है। जब एक क्लैश आ गया है तो एक तरफ डाक्टर साहब ने यह कहा कि जजों की कोई गिरफ्तार करने का मंशा नहीं था, दूसरी तरफ आपने यह भी कहा कि सरकार का फर्ज है कि पुलिस फोर्स भेज कर उनको गिरफ्तार करवाये। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो जो यह शंका है कि उनको कहने का मौका नहीं देना चाहते, उसकी पुष्टि हो जायगी, बावजूद इसके कि ऐसी बात नहीं है। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि इस सदन के ४३१ माननीय सदस्य इस हाउस की सावरेंटी के लिये बड़ी से बड़ी सैक्रीफाइस करने के लिये तैयार हैं और तैयार रहेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपकी प्रिविलेज की परिभाषा गलत है। ४३१ में हम भी हैं। उनकी प्रिविलेज की परिभाषा से हमारी प्रिविलेज की परिभाषा अलग है।

श्री नवलकिशोर—

अगर हाउस की प्रिविलेज के मामले में और हाउस की सावरेंटी को रखने में सोशलिस्ट पार्टी अपने को अलग करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं डाक्टर साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का कोई मंशा कोल्ड स्टोरेज में डालने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया गया है, डिस्क्रिशन उनके हाथ में है। केवल एक बात हम चाहते हैं कि दुनिया को यह कहने का मौका न मिले कि हमने उनको राइट आफ डिफेंस नहीं दिया। केवल इतना मंशा है। जो स्टैंड हमारा पहले था वह आज भी है और वह स्टैंड हमारा रहेगा टिल दि एंड। हम, मान्यवर, कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा जूडीशियरी से टकराव हो। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी के तीन हिस्से होते हैं—लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी। सही डेमोक्रेसी वह है कि जो तीनों के अन्दर बैलेंस मेन्टेन करके चल सके। लेकिन जुडिशियरी ने चूंकि सबसे पहले शुरुआत की और हमारे प्रिविलेजेज को एन्क्रोच किया है इसलिये हमें यह करना पड़ रहा है। और मान्यवर, मुझे तकलीफ है कि अट्ठाइस-अट्ठाइस जजेज बैठकर एक कोर्ट बनावें। एक जज होते, दो जज होते, फुल बेंच भी तीन या पांच जजों की होती है और वह भी तब होती है जब कि कोई प्वाइंट आफ डिफरेंस हो और यहां ओरिजिनल रिट को सुनने, के लिये अट्ठाइस-अट्ठाइस जजेज बैठें, इससे श्रीमन्, हमें भी दुख है। जजबात हमारे भी भड़के हुए हैं। मुझे उम्मीद थी कि जुडिशियरी कुछ ज्यादा सोब्राइटी से काम लेगी। हमने जुडिशियरी के निर्णयों के आगे बो डाउन किया है। आंध्र के हमारे चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानकर इस्तीफा दे दिया। तो हम उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ हम अपने प्रिवेलेजेज को, अपनी सावरेन्टी को और अपनी आनर और प्रेस्टिज को गंवाने के लिये तैयार नहीं हैं। डाक्टर साहब इस बात से बिलकुल मुतमईन रहें। उनके और हमारे जजबात एक है। लेकिन उनके भड़काने से काम नहीं चल सकता। एक कांस्टीट्यूशनल क्लैश आ गया है, let us be on firmer grounds. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि we shall fight till the end इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रसिंह रावत—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिये, ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही गहन है। मैं यह समझता हूं और आपका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

ध्यान आकर्षित करता हूं उस कसम और शपथ की ओर जिसके लेने पर हम इस माननीय सदन के सदस्य बने हैं। जो कोई भी शपथ ग्रहण नहीं करता है allegiance of the oath to the constitution and the country कांस्टीट्यूशन ऐण्ड दि कन्ट्री वह इस सदन में बैठ नहीं सकता और जो जिस दम उस कास्ट्रीट्यूशन की किसी भी धारा का उल्लंघन करता है वह उसी समय से इस सदन का सदस्य नहीं रह जाता। इसलिये मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य इस हाउस का जो उस ओथ का ब्रीच करता है जिस ओथ को लेकर हमने कन्ट्री को यह आश्वासन दिया है कि हम निर्भय होकर इस सदन में इस मुल्क की व्यवस्था पर विचार करेंगे, और उसमें जो कोई भी हमको डर दिखाता है, मैं समझता हूं वह इस कांस्टीट्यूशन का ब्रीच करता है। जो कोई इस सदन के माननीय सदस्यों को भेड़, बकरी समझता है और उनके गले में रस्सी डालकर ले जाना चाहता है वह आदमी अनकांस्टीट्यूशनल है। (शोर) अब मैं केवल कानूनी बहस इस सदन में करना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं माननीय सदस्यों को और आपको यह कंविंस कर दूंगा कि जो प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है वह मीनिंगलेस है, सुपरफ्लुअस है, सुपरफिसियल है, कोई मानी नहीं रखता। उसके कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब हमने शपथ खायी है तो हमारा कर्त्तव्य है कि जो प्रिविलेजेज अन्डर दि कांस्टीट्यूशन इस सदन को प्राप्त हैं हम उन प्रिविलेजेज की रक्षा करें। और जो कोई भी माननीय सदस्य उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसका ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, वह अपने को उस शपथ से बरी करता है, वह इस सदन में बैठ नहीं सकता, वह आजाद हिन्दुस्तान, आजाद पार्लियामेंट और आजाद हाउस का मेम्बर बन नहीं सकता और उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे कानूनी बात कहना चाहता हूं, जरा समझने की बात है, आप तो वकील हैं। देखिये, अगर कोई बाहर वाला प्रोसीजर के ऊपर फैसला कर सकता है तो वह प्रिविलेज के ऊपर क्यों नहीं कर सकता। अगर यह नहीं होता तो उसका मतलब यह हुआ कि बैलगाड़ी साथ-साथ चल रही है, गाड़ी के ऊपर तो अधिकार है, बैल के ऊपर अधिकार नहीं है, यह बात बिलकुल वैसी कही जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रोसीजर पर कब्जा दूसरों का होगा तो फिर प्रिविलेजेज पर हमारा कब्जा कैसे रह सकता है ?

दूसरी बात जो कानूनी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। श्री भगवानसहाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मेरा बहुत इम्पार्टेन्ट प्वाइंट है।

श्री अध्यक्ष—

इम्पार्टेन्ट प्वाइंट तो है लेकिन समय नहीं है। श्री भगवानसहाय जी आप बोलिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मुझे बहुत अफसोस है कि आप इतने बड़े वकील होते हुये भी हमारी कानूनी बहस को नहीं होने देना चाहते।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, समय नहीं है। श्री भगवान सहाय जी आप बोलिये।

श्री भगवानसहाय—

वह बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूं ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री चन्द्रसिंह रावत से) अब आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

बड़ी ज्यादती हो रही है, कोई अपनी कानूनी बात को कहना चाहता है तो आप कहने भी नहीं देते। यह बहुत बड़ी ज्यादती है। यह अनुचित है और अनकांस्टीट्यूशनल है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब आप बैठ जायं ।

श्री भगवान सहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मसला बहुत गम्भीर है और यह बात मैंने शनिवार और सोमवार को भी सदन के सामने कही थी और सदन से इस बात की दरख्वास्त की थी कि इस गम्भीर मसले पर गम्भीरता से विचार हो और सिर्फ जजबात में आकर न बहा जाय।

'चिराकारे कुनद आकिल कि बाद आयद पशेमानी'

ऐसा काम अकलमंद क्यों करे कि जिससे बाद को उसे शर्मिन्दगी हो। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसमें पहले प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं है। इसको करने के लिये मैं भी यों मजबूर हुआ हूं कि मैं इस मत का था कि जुडीशियरी को इस मामले में इस बात का फैसला करने का हक है कि हमारे प्रिविलेजेज का existence व एक्सटेंट क्या है उसको तय करने का हक है। इस बात को तय करने का उनको हक है। मैं इस मत का निश्चित रूप से था और मैंने वह निश्चय बदला नहीं है, आज भी मैं वही ठीक समझता हूं कि वह प्रस्ताव गलत था। लेकिन मैं सदन का एक सदस्य हूं और अनुशासन के नाते यदि सदन यह पारित कर दे कि सदन के आदरणीय सदस्य स्वयं जाकर २८ माननीय जजों को पकड़ कर लावेंगे तो अनुशासन में बंधे होने के नाते मैं आदरणीय जजों को पकड़ने के लिये जाऊंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता यह सारा मसला सरकार का जानबूझकर गड़बड़ किया हुआ है। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। जब यह रिजोल्यूशन आया था इसको माननीय नवल किशोर जी ने जो जनरल सेक्रेटरी Congress Legislature party के हैं व माननीय B. B. Saran कांग्रेस के सदस्य—माननीय वीरसेन जी भूतपूर्व सभा सचिव ने draft किया व पेश किया। यह officially sponsored resolution था। सरकार का आशीर्वाद था व सरकार इसके साथ थी। जब यह रेजोल्यूशन आया उस समय उस पर न्याय मंत्री जी बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि मानों वे हाईकोर्ट की तरफ से माफी मांग रहे हों। उनके भाषण से कहीं भी case के legal position का पता नहीं लगता था। ऐसा मालूम होता था कि यह झगड़ा अभी भी तय नहीं हुआ है, जब कि हाउस आफ कामन्स में यह मसला तय हो चुका है १८८४ में। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बैठ कर यह कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जुडीशियरी हमारी नौकर है इस तरह से सीधे-सादे सदस्यों के जजबात को नाजायज इस्तेमाल किया।

श्री अध्यक्ष—

वहां क्या बात हुई इसका जिक्र यहां न करें।

श्री भगवानसहाय---

यह अखबार की बात है। सब जानते हैं। तो इतने जिम्मेदार मंत्रियों ने न कोई लीगल राय ली, न अपने एल० आर० से पूछा, न Advocate General से, न Secretary Legislative से और कांग्रेस के सदस्यों को भड़काया ताकि इस प्रकार का फैसला लिया जा सके। वोटिंग के समय बहुत से सदस्य समझ नहीं पाये कि इसमें कानूनी पेचीदगी क्या है और उन्होंने मंत्रियों को जिम्मेदार समझ कर उनके साथ वोट दिया इसलिये कि वे समझते थे कि सरकार ठीक काम कर रही है। उस समय माननीय रावत जी ने, Parliamentary Minister बनारसीदास जी ने, डाक्टर सीताराम जी ने और हमारे न्याय मंत्री जी ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ये लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इनको अपनी पार्टी का पथ प्रदर्शन करना चाहिये था। इनको यह कदम जभी लेना चाहिये था जब वह कानूनी तरह से संतुष्ट हो जाते कि वह सही है।

श्री अध्यक्ष---

आपको कहना क्या है ?

श्री भगवान सहाय---

माई डियर, आप मेरी बात सुन लें। मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। आपने नवल किशोर जी को टाइम दिया है। तो यह प्रस्ताव नवलकिशोर जी ने, बी० बी० शरण साहब ने और वीरसेन जी ने बनाया और नवलकिशोर जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं. . . . .

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो रहा है। आप इस पर बोल नहीं रहे हैं।

श्री भगवान सहाय---

अतः सरकार ने अब जिस प्रकार का फैसला इस संबंध में लिया है उससे प्रकट होता है कि सरकार इस सदन को गिराना चाहती है जनता की नजरों में और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आज सदन को जलील करने की जिम्मेदारी सरकार पर है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिये और सदन के सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा---

मैं विकल जी की बात का समर्थन करता हूं।

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय ब्रजभूषण शरण जी की ओर से पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही माननीय नेकराम जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस मसले पर बहुत गंभीरता से और शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये। लेकिन जहां मैं उनसे इस बात में सहमत हूं, मैं आपके जरिये उनसे यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे जो कुछ कहें वह इस ढंग और तरीके से होना चाहिये कि जिस तरह का वातावरण वह सदन में चाहते हैं वह कायम रह सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब यह चाहते हैं कि हमारी बात सब लोग सुनें लेकिन हम किसी और की बात सुनना नहीं चाहते। आज हमारे सामने एक मामूली नहीं, गैर-मामूली प्रश्न है। लेजिस्लेचर और जुडीशियरी का कंफ्लिक्ट हो,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मतभेद हो, तो किस प्रकार हल हो—कौन सही, कौन गलत है, यह मसला है और, जैसा मैंने अर्ज किया, यह गैर-मामूली मसला है। अभी हमारे एक मित्र ने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं—लेजिस्लेचर, जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव। आज गवर्नमेंट के तीन अंगों में से दो अंग एक दूसरे से कंफ्लिक्ट में आते हैं.....

श्री जेड० ए० अहमद—

राज्य का अंग कहिये, गवर्नमेंट का नहीं।

श्री चरणसिंह—

स्टेट से ही मेरा मतलब था। तो हमें ऐसी स्थिति में विचार करना है जिससे जनहित का संपादन हो और आगे के लिए गलत मिसाल और नजीर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए न छोड़ जायं।

जुडीशियरी हर मुल्क में जरूरी अंग है, लेकिन विशेष कर एक डेमोक्रेटिक देश में अन्य अनडेमोक्रेटिक देशों के मुकाबले में यह और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जुडीशियरी का आदर जनता में रहे....

श्री राधेश्याम शर्मा—

कम्युनिस्टों को छोड़ कर।

श्री चरणसिंह—

मैंने इसीलिये गैर-डेमोक्रेटिक कहा। तो जहां जुडीशियरी की इज्जत हमको बहुत ऊंची रखनी है वहां उसके साथ ही मैं लेजिस्लेचर की इज्जत को न्यायालय की इज्जत से किसी प्रकार कम नहीं समझता हूं।

श्री ऊदल—

यह तो पार्लियामेंटरी बात है, सभी जानते हैं, हमें ए० बी० सी० डी० न पढ़ाइये।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अगर लेजिस्लेचर की इज्जत नहीं रहेगी तो मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, व्यवस्था नहीं चल सकती, अमन कायम नहीं रह सकता, तमाम मुल्क नष्ट हो जायगा, और यही बात नहीं (व्यवधान) ऊदल जी, चाहे मैं ए०बी०सी०डी० की बात कर रहा होऊं, लेकिन सभा का नियम यह है कि बोलने वाला अगर अनर्गल बात भी कहे, लेकिन सुनने वालों को जब्त करके वह बात सुननी चाहिये। तो यह जानने के लिए कि लेजिस्लेचर और जुडीशियरी की इज्जत में किसकी इज्जत ऊंची है, पहली बात तो यह अर्ज करूंगा कि जहां दो बड़ी इज्जत वाली संस्थाओं का सवाल हो वहां यह डिस्क्रिमिनेट करना मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि यह लेजिस्लेचर जनता की रिप्रेजेन्टिव बाडी है। चूंकि यह जनता की चुनी हुई बाडी है इसलिये यह सबसे ऊंची हो जाती है। अब उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार है कि हम जो भी कानून बनायें वह उसको संविधान की कसौटी पर कस के देखे कि वह संविधान के अनुकूल है या नहीं। अगर उसके प्रतिकूल होता है तो वह उसको रद्द कर देता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बनाये हुये कानून रद्द कर दिये जाते हैं। उनके खिलाफ कभी हमको कोई शिकायत नहीं होती। सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी तक रिट और रेगुलर सूट दायर करते रहते हैं। गवर्नमेंट के मेम्बरान भी हाईकोर्ट के जूरिस्डिक्शन में आते हैं। जब कभी भी

[श्री चरणसिंह]

हाई कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, किसी को भी सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से शिकायत नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि डेमोक्रेसी में जुडीशियरी की एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। लेकिन इसके साथ ही लेजिस्लेचर के कुछ प्रीविलेज हैं जो अन्य नागरिकों के फंडामेन्टल राइट्स से सुपीरियर हैं और उनको ओवरराइड कर सकते हैं। लेजिस्लेचर के प्रीविलेज उनके ऊपर हैं। अगर लेजिस्लेचर के प्रीविलेज और एक नागरिक के फंडामेन्टल राइट्स में कोई कन्फिलिक्ट हो तो इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि लेजिस्लेचर के प्रीविलेज सुपीरियर हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह गलत है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है, फन्डामेन्टल राइट्स लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को ओवरराइड कर सकते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

१९५९ में सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि लेजिस्लेचर के प्रिविलेज सुप्रीम हैं। आप पहले की रूलिंग बता रहे हैं।

श्री चरणसिंह—

१९५९ की रूलिंग के अनुसार लेजिस्लेचर के प्रिविलेज सुपीरियर हैं फंडामेन्टल राइट्स से। अभी १६ या १७ तारीख को हमारी हाई कोर्ट के सामने एक इस प्रकार का प्रश्न पैदा हुआ कि श्री केशव सिंह को इस सदन ने सजा के तौर पर अपने अवमान के लिये दंड दिया और एक आज्ञा दी। उसे हाई कोर्ट ने इन्टैरिम तरीके से स्टे कर दिया और केशव सिंह जी को जमानत पर बरी कर दिया। हमारे सदन की यह राय हुई, २१ मार्च को, और मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, कि श्री केशव सिंह ने, श्री बी० सालोमन ने और हमारे उच्च न्यायालय के दोनों माननीय जजों ने यह कार्यवाही करके इस माननीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की (हेयर, हेयर)। अब यह सवाल पैदा होता है कि किया क्या जाय। जो प्रस्ताव उस दिन पास हुआ है उसकी मंशा से मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन उधर हमारे हाई कोर्ट के जज और इधर माननीय सदन है। अब स्पष्टीकरण के तौर पर यह प्रस्ताव सामने आया है। इसमें दो राय हो सकती हैं कि यह एक स्पष्टीकरण है या स्वतंत्र प्रस्ताव है। माननीय जेड० ए० अहमद साहब की राय यह है कि यह एक इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन है। मैं उनसे पूरे तौर से सहमत नहीं हूं और आपकी रूलिंग भी हो चुकी है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसे चाहे जो भी मानें, इससे उसके आशय पर कोई असर नहीं पड़ता है।

अब हमें यह देखना है कि आगे कैसे चलें और गौर करें। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भावावेश से काम लिया है। मैं मानता हूं कि कोई कौम जिन्दा नहीं रह सकती अगर वह भावनारहित है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बाअदब अपने मित्रों से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को सुलझाने के लिये हमें अपने भावावेश को अलग रखना होगा। हमको शिकायत है, और बजा शिकायत है, कि २८ जजों ने जिस प्रकार अभी २३ तारीख को आदेश दिया है हमारे २१ तारीख के प्रस्ताव पर अमल न करने का—यद्यपि उनका वह आर्डर भी इन्टैरिम है, हमारी सबकी निगाह में २८ आदमियों की इतनी ही इज्जत है जितनी एक जज की है। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, अगर एक जज या २ जज या ३ जज भी होते। हमने तो अब तक यह सुना था कि फुल बेंच ७ जजों की बैठती है। हमने भी वकालत की है, और हमको कोई नजीर ऐसी नहीं मिली जिसमें ७ जज से ज्यादा जज बैठे हों। हमको सबको यह खयाल है कि बेहतर यह होता कि हाई कोर्ट २८ जजों की बेंच न बनाकर ५ आदमियों की बेंच बनाता। हमको यह शिकायत है और उसके पीछे अन्डरलाइंग फीलिंग हमारी यह है कि हाईकोर्ट को

जजेज ने २८ जजों की बेंच जो इस विषय में बनाई तो शायद पूरे तरीके से, सेंट पर सेंट, उन्होंने अपने दिमाग से काम नहीं लिया । हमको यह शिकायत है कि शायद उन्हें यह खयाल हुआ कि २ जजों की अवहेलना हुई लिहाजा सब मिलकर इस कार्य को करें और उससे शायद उसमें बल ज्यादा आ जायगा और अगर २ आदमियों को हमारा विधान मंडल कोई सजा देता है, बुलाता है, या दरख्वास्त करता है पेश होने की, तो हम इसके लिये तैयार हैं कि हम २८ आदमी जावेंगे और उसका कोई विशेष असर होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय चरणसिंह के भाषण पर ।

श्री अध्यक्ष—

आप बिला वजह बीच में उठा करते हैं । मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जाइये । अगर नहीं बैठते हैं तो बाहर जावें ।

(श्री काशीनाथ मिश्र ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

श्री चरणसिंह—

जितनी माननीय सदस्यों के दिल में हाई कोर्ट के जजों के लिये इज्जत है मेरे दिल में उससे कम नहीं है । मैं तो यह कह रहा था कि बजाय २,४ जजों के २८ जजों ने जो फैसला किया है उसमें भावना का जजबा है । जायज या नाजायज, बेसलेस या अदरवाइज, अगर हाई कोर्ट के मुताल्लिक भी शिकायत हो सकती है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट ने जरा भी जजबे से काम लिया है, लेकिन बहस के लिये यह मान लिया जाय और जब हम यह भी मानते हैं कि इस देश को चलाने की जिम्मेदारी जनता के प्रतिनिधियों पर है, तो हमें इस बड़े प्रश्न पर विचार करते समय संयम से काम लेना चाहिये या आवेश से काम लेना चाहिये ? यह बड़ी भारी वैधानिक या कानूनी टेंगिल जो तय होगी, जैसा हमारे कुछ माननीय मित्रों ने कहा, यह अल्टीमेटली कंस्टीट्यूशनल और लीगल ग्राउन्ड्स पर तय होगी । माननीय रामचन्द्र विकल के साथ सिकन्दराबाद में और सारे यू० पी० के कितने ही किसान हों, इसका कोई असर इस प्रश्न के तय होने पर नहीं पड़ेगा । हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिये हम कोई काम बिना पूरे तौर से विचार किये हुए कर लें केवल इसलिये कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है, उससे हमारा केस मजबूत होने वाला नहीं है । हमको एबसोल्यूटली लीगल ग्राउन्ड्स सोचने हैं । जैसा माननीय भगवानसहाय जी ने कहा था, मैं उनसे सहमत हूं कि दिल को दबाकर हमें दिमाग से काम लेना होगा । यह दुनिया हमारी ताकत है और हम सब कुछ कर सकते हैं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, क्या जिनमें ताकत होती है वह नियमों से बाहर होती है ? परमात्मा भी शक्तिशाली होता है, वह स्वयं अपने कुछ नियम बनाता है और फिर स्वयं उन नियमों में आबद्ध हो जाता है । यह मामला कान्स्टीट्यूशन की कसौटी पर तय होने वाला है और कांस्टीट्यूशन हमारा बनाया हुआ है, लेकिन बनाने के बाद हम उसके पाबन्द होते हैं । कांस्टीट्यूशन चेंज करना चाहें, हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह कांस्टीट्यूशन है, वह सावरेन है और उससे हम उसी प्रकार से बाइन्ड रहेंगे जिस प्रकार से और उससे बाइंड होते हैं । यह लीगल टेंगिल है, इसको हमें लीगली और कान्स्टीट्यूशनली ही हल करना होगा । इसको सुलझाने के लिये कांस्टीट्यूशन का पालन करने से हमारी शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं ।

[चरणसिंह, श्री—]

मैंने माननीय जेड० ए० अहमद साहब को यहीं देखा, आज से पहले उनकी जितनी तकरीर सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस हर तकरीर को सुनने के बाद उनकी इज्जत मेरी निगाह में बढ़ती गयी। लेकिन आज उन्होंने दो दलीलें दीं इस प्रस्ताव के खिलाफ। एक तो यह कि यह प्रस्ताव पेश ही नहीं हो सकता। दूसरे यह कहा कि यह पोलीटिकल चैलेंज है। भला हाई कोर्ट से पोलीटिक्स कंसीडरेशन क्या हो सकता है? वहां तो केवल लीगल कंसीडरेशन ही हो सकता है। हां, एक बात अवश्य है। जो भी कंसीडरेशन होगा उसके पीछे एक ही भावना रहेगी कि हाई कोर्ट की इज्जत भी रखना हमारी अपनी इज्जत ही रखना है। कुछ लोगों की राय है कि हाई कोर्ट ने गलती की, सही भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें इस सिलसिले में बहुत शांति से काम करना है। (व्यवधान)। एक पुरानी कहावत है कि कर्त्तव्य पालन से ही सारे अधिकार फ्लो आउट होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी कहावत भी है कि जितनी भी शक्तियां हैं वह सब फ्लो आउट करती हैं, संयम से। अतः जिसके हाथ में शक्ति हो उसको संयम लेकर चलना पड़ेगा, उसको अपने ही नियमों के अधीन रह कर चलना पड़ेगा। हाई कोर्ट के पास जो भी पावर्स हैं वे सब लेजिस्लेचर की दी हुई हैं, पार्लियामेंट की दी हुई हैं। मैंने कहा कि कान्स्टीट्यूशन हमारा बनाया हुआ है, लेकिन इसको तय करने के लिये हमें संयम, नियम, खामोशी और निहायत बुद्धिमानी से काम लेना है।

जो प्रस्ताव माननीय मित्र ने पेश किया उसकी मंशा केवल यही है कि हमारा इरादा केवल यही था कि उच्च न्यायाधीश हमारे सामने आयें और अपनी सफाई दें, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि उनको हमें कस्टडी में बुलाने के पहले एक मौका सुनने का देना चाहिये था। हमारा इरादा भी यही था। तो लोगों के इस खयाल को कि पहले उनको शो-काज का नोटिस देना चाहिये था, रिमूव करने के लिये यह जरूरी हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव हम पास करें। अध्यक्ष महोदय, इन लफ्जों के साथ मैं माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि जैसे उन्होंने पहले प्रस्ताव का समर्थन किया था और उसे मंजूर किया था, बेहतर यह होगा कि इस प्रस्ताव को भी हम सर्वसम्मति से मंजूर करें। इससे हमारी शान बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त कर रहा हूं।

(श्री दीपनारायणसिंह का नाम पुकारने पर)

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, हम रिपब्लिकन दल के सदस्य शिष्टता के साथ खड़े होते हैं तो भी आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते और जो लोग झगड़ा करके खड़े हो जाते हैं उनको आप टाइम दे देते हैं, तो यह अच्छा नहीं है।

*श्री दीपनारायणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय नहीं था जबकि यह ऐतिहासिक प्रस्ताव इस सदन ने २१-३-६४ को पास किया। मैं अगर यहां होता तो एक वकील के नाते और एक विधायक के नाते, इतना बड़ा कदम उठाने की बात न करता। हाई कोर्ट के दो जजों को सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना करने के अपराध में कस्टडी में बुलाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है उनमें अगुआगीरी करने वाले श्री बी०बी० शरण और श्री नवलकिशोर जी थे और वे ही २८ जजों के फैसले के बाद इस तरह का स्पष्टीकरण लाये हैं। इससे यह जाहिर होता है कि एक तो उनके दिमाग में यह बात नहीं आयी कि इस तरह के कंप्लिकेशंस पैदा होंगे, इस तरह का बावेला मचेगा, और दूसरे यह कि जिस पार्टी से वे संबंध रखते हैं उस पार्टी में ऐसा तूफान होगा या कमजोरी होगी। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संविधान की तरफ खींचना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाई कोर्ट के २८ जजों ने और अवध बार एसोसिएशन के तमाम वकीलों ने आर्टिकल २१५ के अन्तर्गत कंटेम्ट आफ हाई कोर्ट के अपराध में एक पेटिशन माननीय अध्यक्ष व संबंधित सदस्यों के खिलाफ दाखिल कर दिया है । यह एक बहुत बड़ी चीज हुई है । यहां पर मैं हाउस आफ कामंस का एक उदाहरण देना चाहता हूं । १९५८ का श्री जी० आर० स्ट्रास, एम०पी०, का केस हमारे सामने है । वहां की अदालत ने उन पर मुकदमा चलाने की धमकी दी थी तो वहां की जुडिशियल कमेटी और प्रिवी कौंसिल ने यह होल्ड किया कि एम०पी० पर अदालत में मुकदमा चलाने की धमकी देना कंटेम्ट आफ हाउस हुआ । और वहां के हाउस आफ कामंस द्वारा जुडिशियरी का कंविक्शन भी हुआ । इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव किया कि २८ जजों के खिलाफ प्रीवीलेज का प्रस्ताव आवे ।

श्री अध्यक्ष—

वह अभी सुरक्षित है ।

श्री दीपनारायणसिंह—

संविधान के आर्टिकल २२६ में कुछ लेखों के निकालने के लिये हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है । आर्टिकल २११ में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के जजों के कंडक्ट के विषय में यहां कुछ डिस्कशन नहीं हो सकता है । आर्टिकल १९४ में लेजिस्लेचर व उसके सदस्यों व कमेटियों के पावर्स व विशेषाधिकार आदि दिये गये हैं ।

तो आर्टिकिल २२६ के अन्दर जो रिट दाखिल हुआ है और जिस पर हाई कोर्ट ने आप पर और मार्शल पर नोटिस जारी किया है यह सब कंटेम्प्ट के अन्दर आता है । अगर आप उन २८ जजेज को नहीं हटाते हैं तो डेमोक्रेसी का मजाक है । श्री एम० एस० शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि "हाउस इज दी सोल जज" ।

माननीय मुख्य मंत्री जानती हैं कि माननीय जे० बी० कृपालानी के खिलाफ जब "ब्लिट्ज" ने कार्टून बनाया और जब उसके ऐडीटर को तलब किया गया तो आर्टिकिल ३२ में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मूव किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि प्रिविलेज के मामले में हम दखल नहीं देते । तो हमारी सजा बेल आउट करना गलत है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर एक जज ने, जो बेंच में थे, कंटेम्प्ट आफ दी हाउस किया है और अगर इस प्रस्ताव में ऐक्सप्लेनेशन की मांग करते हैं तो तौहीन की बात है ।

१२ क्वीन्स बेंच डिवीजन ने पेज २८०, २८१ पर फैसला दिया है .....

श्री अध्यक्ष—

आप उसे न पढ़ें, वह तो सेटिल्ड ला है ।

श्री दीपनारायणसिंह—

उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमको डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली इंटरफीयर करने का हक नहीं है । अगर हमारा प्रोसीजर गलत भी है तो भी इंटरफीयर करने का किसी न्यायालय को हक नहीं है । तो ऐक्सप्लेनेशन लेने की क्या बात है ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, जब हमारे सदन ने एक फैसला कर दिया और प्रस्ताव पारित हो गया, उस दिन भी जब प्रस्ताव पेश हुआ था तो मैंने कहा था कि मामला गम्भीर है ....

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, हमको भी समय दें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

उस दिन भी मैंने माननीय बृजभूषणशरण के प्रस्ताव का विरोध किया था कि यह मसला महत्वपूर्ण है और इसको जल्दी में पारित न करें बल्कि गम्भीरतापूर्वक विचार करें। यह प्रश्न डेमोक्रेसी की रक्षा का प्रश्न बन गया है और हमारे सम्मान का प्रश्न बन गया है। आप मार्शल को जब आदेश देते हैं तो यह हमारी योग्यता है कि हम उनके इशारे पर चले जाते हैं। इसी तरह से मार्शल को सदन के आदेश को मानने के लिये सीधे जजेज के पास जाना चाहिये था न कि कमिश्नर के पास। उनको डायरेक्ट जजेज के पास जा कर तामील करना चाहिये था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री को इस सदन के निश्चय होने के बाद, इस सदन का फैसला होने के बाद, उसके पारित प्रस्ताव के बाद समन कराने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो पुलिस फोर्स देनी चाहिए। हमारी सरकार अगर हमारे इस हाउस को सावरेन समझती है, सुप्रीम समझती है, इस हाउस को ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को सुप्रीम समझती है तो शाम तक इसका फैसला हो जायगा और इन लोगों को गिरफ्तार करके बुलवाया जायगा, लेकिन इसलिये नहीं कि सरकार व हमारे एडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल मिश्र, ने जो कुछ भी कहा है, हाउस को सुप्रीम मानते हुए भी न माना जाय। हमारे माननीय सदस्यों को बताया जा रहा है कि यह सदन डिजोल्व हो जायगा लिहाजा तुम लोगों की नौकरी चली जायेगी। मान्यवर, हमने खून दिया है, हम फांसी पर लटके हैं और आज भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं लेकिन इस सदन के फैसले को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, आप हमें समय नहीं देते, आप इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले अपोजीशन को समय देना चाहता हूं। आप कृपया बैठिए।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मान्यवर, क्या उन लोगों को जो इस प्रस्ताव के मुआफिक बोलना चाहते हैं, उनको भी समय मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय चरणसिंह इस पर आधे घंटे बोले हैं इसलिए अपोजीशन के सदस्यों को भी ५-५ मिनट इस पर बुलवाऊंगा।

श्री बलवानसिंह—

मैंने बड़े गौर से माननीय चरणसिंह जी के भाषण को सुना...

श्री रामचन्द्र विकल—

आपने जो अभी व्यवस्था दी है इसका मतलब यह है कि आप अपोजीशन को ५-५ मिनट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को १/२ घंटा मिल चुका है। श्रीमन्, यह प्रश्न अपोजीशन का नहीं है। यह सारे सदन का प्रश्न है।

*श्री बलवानसिंह—

मैंने बड़े गौर से चौधरी साहब की बात को सुना। गवर्नमेंट की तरफ से जो रेजोल्यूशन आया है और वे यह कहते हैं कि इसे हाउस की तरफ से कराना चाहते हैं। जहां तक मेरा खयाल है, यहां ४३० एम० एल० ए० हैं और उन सबका एक ही उद्देश्य है कि इस हाउस की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रेस्टीज रहे । २१ मार्च को जो रेजोल्यूशन हुआ है उसकी लैटर आफ दी रेजोल्यूशन गलत है लेकिन उसकी स्पिरिट आफ दी रेजोल्यूशन ठीक है । लेटर आफ दी रेजोल्यूशन को ठीक करने के लिए एक एमेंडेंड वे में एक रेजोल्यूशन सरकार अपनी तरफ से लाना चाहती है । श्रीमन्, इस सिलसिले में जेड० ए० अहमद० साहब ने जो कहा है वह अच्छा है कि यह चीज प्रेसीडेन्ट खुद ले लें । इस सम्बन्ध में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज सवाल डेमोक्रेसी का आया है । श्रीमन्, डेमोक्रेसी को खतरा खुद जुडीशियरी ने पैदा किया है । हमने खुद कोड आफ कन्डक्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या छोटे कोर्ट्स के कन्डक्ट को हाउस में नहीं लिया । लेकिन जब हमारे हाउस के प्रिविलेंज का क्वैश्चन आया है तो यह मानते हुए कि हाउस के प्रिविलेज का कंटेम्प्ट होता है फिर भी जजेज ने कंटेम्प्ट को किया है । उसके बाद, श्रीमन्, हाई कोर्ट के जजेज की मीटिंग हुई । मैं नहीं कह सकता कि वे २८ हाई कोर्ट के जजेज किस शक्ल के अन्दर बैठे । या मैं यह कहूं कि वे एक यूनियन बनाकर, रिक्शा वालों की यूनियन की तरह से, बैठ गये हों । हो सकता है कि रिक्शा यूनियन की तरह मीटिंग हो गयी हो । २८ जजेज की बैठक हमको चैलेंज करती है । हमने पढ़ा नहीं था कि जजेज-यूनियन भी होती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

२८ जजेज की मीटिंग को रिक्शा यूनियन की संज्ञा दी जा रही है, यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---

उनके कहने का मतलब है कि २८ जजेज को बांध दिया कि यह जजमेंट दे दो ।

श्री बलवानसिंह---

क्या जजेज इस तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर डेमोक्रेसी को मेन्टेन करेंगे ? जहां जजेज की सुपरिमेसी और उनके प्रिविलेजेज का सवाल है वहां लेजिस्लेशन के प्रिविलेजेज का भी सवाल है । इसलिये जुडीशियरी ने जानबूझ कर मेलाफाइडी वे में लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेज को चैलेंज किया है ।

श्री अध्यक्ष---

यह पोजीशन कंटेस्ट नहीं हो रही है । यह मान लिया गया है कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है वह ठीक ही है । केवल उसका अब स्पष्टीकरण किया जा रहा है । इस पर आपको बोलना हो तो बोलिये ।

श्री बलवानसिंह---

मैं भी लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेज को चौधरी चरण सिंह की तरह सदन के सामने रखना चाहता हूं । ४३१ एम० एल० एज० में एक भी ऐसा नहीं है जो हाउस की प्रेस्टीटज के खिलाफ बात कहता हो । जब हमारा इरादा एक है तो फिर इस डिवाइडेड रेजोल्यूशन को लाने की क्या जरूरत है ? हमको एक मत होने की जरूरत है । क्या नन्दा जी, होम मिनिस्टर, वहां बैठ कर नहीं सोच रहे हैं कि यू० पी० के अन्दर क्या हो रहा है ? पेपर में आज आया है कि दफ्तरी से लाल बहादुर शास्त्री जी ने कंसल्टेशन किया है । मेरा कहना यह है कि ऐसी सिचुएशन बनाई जाय जिससे ४३१ एम० एल० एज० एक मत से इस रेजोल्यूशन को स्वरूप दे सकें तो इससे हाउस की डिगनिटी और डिकोरम कायम रहेगी । हमको जुडीशियरी के सामने डिवाइड नहीं होना चाहिये वर्ना पेपर्स लिखेंगे कि हाउस के अन्दर डिवीजन था । वैसे २,४ की मेजारिटी से आप इस रेजोल्यूशन को पास कर दें लेकिन यह गलत बात होगी । हमारा यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में जायगा तो वहां हम स्टैंड नहीं कर सकेंगे इस तरह से । इसलिये अपने केस को

[बलवान सिंह, श्री—]

मजबूत करने के लिये हमको एक नियमित वे से प्रिविलेज कमेटी को इसे भेजना चाहिये तभी हमारे हाथ में ऐसी फोर्सफुल पावर आयेगी जिसमें कि हम जजेज को बुला सकें । श्रीमन्, २,३ बातों की तरफ में गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सिर्फ जजेज को बुलाने के लिये, प्रिविलेज कमेटी में जाने के लिये एक प्रस्ताव आ सके जिससे लेटर आफ दि रिजोल्यूशन ठीक हो, उसी चीज के लिये सरकार बाध्य हो गई है डिवीजन लाने के लिये; तो मेरा कहना यह है कि जो प्रस्ताव २१ मार्च को पास हुआ है उसी के बेसिस पर भेज दें । सुप्रीम कोर्ट तो हमारे इंटेंशन को देखेगा और आखिर में उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करेगा । हाउस को अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहना चाहिये, चाहे उसने गलती की या ठीक किया । मेरा खयाल यह है कि हाउस के सामने वह नहीं थे इसलिये उनको बुलाने की जरूरत है । लेकिन मेरा कहना यह है कि इस हाउस का डिवीजन न होने दें । आप उस चीज को ले आयें जो डाक्टर साहब ने कही थी । क्या मैं हाउस के डिप्टी लीडर, माननीय हुकुमसिंह जी, से यह पूछ सकता हूं कि आप यह देख रहे हैं ? हो सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के दोस्त मेरे ऊपर अटैक करें, हिन्दुस्तान की जुडीशियरी में बहुत से कंजरवेटिव आइडियाज के लोग हैं और वे डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, उसको हमें रोकना है । यह मैं नहीं कहता कि हम लोग सुप्रीम हैं लेकिन डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिये ।

(श्री जे० पी० मिश्र के श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—:

आप कृपया बैठ जाइये । मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मौका नहीं मिलेगा । यह मेरा अधिकार है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

लखपतराम जी, या तो आप सदन छोड़िये या बैठ जाइये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा कहिये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप एक सदस्य को आश्वासन देते हैं कि इसके बाद बुलायेंगे और उसके बाद उस चीज को हटा देते हैं, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप हमें बता दें कि यह कहां तक ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, जो आदमी बराबर आशा करेगा कि शोर मचाने से उसको बोलने का मौका मिलेगा तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। मैं आपको बुला लेता लेकिन आपने बार-बार शोर मचाया, इसलिये आपको मौका नहीं मिलेगा।

*श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि महाप्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की आधारशिला के ऊपर इस विधान सभा को सार्वभौम सत्ता प्राप्त हुई। श्रीमन्, यह बात बिलकुल निश्चित है, इसमें बिलकुल शुबहे की कोई गुंजायश नहीं है, कि यह विधान सभा सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, और जुडीशियरी भी स्टेट का एक इम्पार्टेंट विंग है। उसको भी महाप्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। हमने जो एक निर्णय लिया था अभी उस निर्णय पर आपने चौधरी चरणसिंह की बात सुनीं कि आज भी हम उस निर्णय पर कायम हैं। हम तो सावरेन हैं और अगर इस बात की कोई शिकायत करता है कि उस निर्णय के आधार पर हमको पूरा मौका नहीं दिया गया अपनी बात कहने का, अगर यह शुबहा रह जाता है, तो एक सावरेन बाडी के नाते, इतना हमको बरदाश्त करना पड़ेगा। अगर किन्हीं क्वार्टर्स से अन्तर है, मैन इन दि स्ट्रीट और हाई कोर्ट जजेज में बहुत बड़ा अन्तर है। केशवसिंह के मामले में और माननीय बेग और सहगल के मामले में, अगर इस किस्म का कोई भ्रम रह जाता है, अगर कोई स्पष्टीकरण की ख्वाहिश है और यह सदन अपने उस निश्चय के ऊपर कायम रहने के बाद अगर कोई स्पष्टीकरण का प्रस्ताव लाता है तो मैं समझता हूं कि इस सदन की उदारता है और यह सदन उदार भावना से मौका देना चाहता है जिन्होंने इस सदन का कन्टेम्प्ट किया है। मुझे एक बात आपके माध्यम से निवेदन करनी है। वह यह है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस देश में पैदा हो गयी है। यह मामला प्रेसीडेंट की नोटिस में पहुंच चुका, पार्लियामेंट ने भी नोटिस ले लिया। यह कांस्टीट्यूशनल और लीगल सवाल है। अगर पैशंस और सेंटीमेंट्स में बह कर इस लीगल और कांस्टीट्यूशनल मामले को लीगल और कांस्टीट्यूशनल तरीके से हल न कर सके तो हम स्वयं जिम्मेदार होंगे उस रास्ते को लाने के लिये जो हमको नहीं लाना है। इस मकसद को लेकर माननीय बी० बी० शरण ने स्पष्टीकरणार्थ यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। इसमें डाक्टर अहमद साहब की भावना की गुंजायश है। सोशलिस्ट पार्टी की बात न कीजिये। वह उच्च आदर्श वाले हैं। उनका रास्ता अपना अलग है। आठ-नौ सदस्यों को छोड़ कर.....

श्री अध्यक्ष—

नहीं।

*श्री जे० पी० मिश्र—

अच्छा, मैं वापस लेता हूं। बहुत बड़ा बहुमत इस सदन का इस मत का है कि हमारी जो प्रिविलेजेज हैं, पार्लियामेंटरी एम्युनिटीज है मेम्बर्स की, उनमें हस्तक्षेप न हो, इसकी गारंटी चाहिये। गारंटी कहां से आने वाली है? गारंटी यह सदन दे सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी प्रिविलेजेज के प्रश्न पर कोई आउट साइड इंटरफियरेंस किसी किस्म का आये। हमने एक निर्णय लिया है। आज स्पष्टीकरण के लिये हम दूसरा प्रस्ताव ला रहे हैं। उस पर इस हाउस में बैठ कर हम निर्णय लेंगे। प्रिविलेज के मामले में हम सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश की ही नहीं, सारी दुनियां की निगाह आपके सदन के ऊपर लगी हुई है। जो प्रस्ताव २१ तारीख को पास किया उसके संबंध में कल मैं दिल्ली में था, कई प्रकार की चर्चा चारों तरफ मैंने सुनी। सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि हमने सही किया या गलत किया, और काफी इस बारे में हलचल मची हुई है। ऐसी अवस्था में हम लोग जिन्होंने यह प्रस्ताव पास किया वह स्वयं ही डांवाडोल हो रहे हैं, यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हमने क्या किया? मुख्य मंत्री ने एक प्रस्ताव पेश किया, वह हमने पास किया। उस पर एक आदमी को ७ दिन की सजा हुई। ६ दिन के बाद वह छोड़ दिया गया। जजेज ने बिला सोचे हुए कि उनका ऐसा करना जायज है या नहीं, उसको छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने हमको थप्पड़ लगाया। हमने न्यायाधीशों पर कोई हमला नहीं किया, पर उन्होंने इस सदन की प्रतिष्ठा पर हमला किया। जब हमने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया कि हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई और जजों को हमने तलब किया, तो क्या होता है? इधर न्यायाधीश देसाई साहब मुख्य मन्त्री जी से मिल कर कोशिश करते हैं कि मामले को सुलझाया जाय और उधर वह क्या करते हैं, जाते हैं इलाहाबाद में और २८ जजेज मिलकर निश्चय करते हैं और यह हुकुम देते हैं कि हमारे सदन का प्रस्ताव स्टे कर दिया गया और नोटिस दी गई स्पीकर को, और हम लोगों को। इससे बढ़कर सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना और क्या हो सकती है? २८ जजों ने आवेश में आकर यह कार्य किया। उन्होंने जज होने का संतुलन खो दिया। आप कहते हैं कि कमिश्नर ने यह कहा कि हम लीगल राय ले रहे हैं। क्या उसने हमारे आदेश का पालन करने से इस प्रकार इन्कार नहीं किया? क्या वह हमारे नौकर नहीं है? क्या हम साढ़े सात करोड़ आदमियों के नुमाइन्दे नहीं हैं? मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप यह प्रस्ताव पास करेंगे तो अपना बड़ा मजाक उड़वायेंगे और हमेशा-हमेशा के लिये लेजिस्लेचर को दबना पड़ेगा अपने अधिकारियों से। कमिश्नर ने हमारा अपमान किया यह कहकर कि हम इस पर राय लेंगे। वह हमारा नौकर है। वह होता कौन है राय लेने वाला? उसको हमारा हुकुम मानना चाहिये था। आप उसको बरखास्त करें फौरन। जब सारा सदन यह तय करता है तो उसे कोई अधिकार नहीं था कि वह हमारे हुकुम को फौरन न माने। हमारे माननीय मंत्री चरण सिंह ने कोशिश की है हमें बड़े ऊंचे-ऊंचे सबक देने की। मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनियां देख रही है कि आपका निर्णय गलत था या सही था, ऐसे समय यदि आप खुद अपने बारे में संशय करते हैं तो दुनियां क्या कहेगी? माननीय बी० बी० सरन जी, आपने वह प्रस्ताव पेश किया, हमने पास किया और आज आप खुद घबड़ा गये उससे। बड़े अफसोस की बात है। (शोर)..... शर्म की बात है। दुनियां क्या कहेगी? और स्पीकर साहब, आप कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं इसको पूरा न करूं। तो आपको इस नये प्रस्ताव को लेना नहीं चाहिये था और ले लिया है तो उसे रिजेक्ट करना चाहिये और कोई भी मेम्बर, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे इधर का, उसे उस पर सोचना चाहिये कि जो हमारा अधिकार है उसे हमें कायम रखना है। आज यह सारे हिन्दुस्तान के अन्दर सवाल है कि सुप्रीम लेजिस्लेचर है या उसके अधिकारी लोग। मुझे याद है, पार्लियामेंट के अन्दर एक सवाल उठा था, जब जनरल थिमैया साहब ने इस्तीफे की धमकी दी थी, उस समय नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहां सिविल अथारिटी Supreme है, उनको अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। जनरल थिमैया ने उसे वापस लिया। तो क्या यह जजेज उनसे भी बड़े हैं कि वह हमको धमकी दें? इसलिये हम किसी के भड़काने में न आवें और जो प्रस्ताव हमने पास किया है उस पर अटल रह कर उस पर अमल करावें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय। (शोर)

एक सदस्य——

श्रीमन्, एक बात सुन लीजिये। माननीय चरण सिंह आश्वासन दे चुके हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिये सबको सुन लेना चाहिये। अगर इसमें जल्दबाजी की और क्लोजर मूव किया....

श्री अध्यक्ष——

पौने तीन घंटे हो गये। (शोर)

हमें एक बजट का आइटम पास करना है और इसलिये अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय——

आप इस पर पूरी बात हो जाने दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा——

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष——

काफी लोग बोल चुके हैं। बहरहाल, अब मैं प्रस्ताव रख देता हूं, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिये।

अनेक सदस्य——

नो, नो, नो।

श्री अध्यक्ष——

देखिये, जितनी बहस हो रही है वह सिर्फ यह हो रही है कि हमारे विशेषाधिकार का संरक्षण होना चाहिये और जितनी बातें अभी तक यहां कही गयी हैं उनका सार केवल इतना है। इस प्रस्ताव में सिर्फ इतना संशोधन किया जाय और उस पर इतने माननीय सदस्यों ने अपनी बात कह दी है। मूल प्रस्ताव पर ५ घंटे बहस हुई और इस संशोधन पर ३ घंटे से अधिक बहस हो चुकी है। इससे अधिक अब इस पर कहने की जरूरत नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल——

सब लोगों को अपनी बात तो कहने दीजिये। बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष——

जी नहीं, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——

(व्यवधान) अब माननीय बी० बी० शरण इसका उत्तर देंगे।

श्री रामचन्द्र विकल——

यह जनतंत्र के हित में नहीं है जो आप लोगों को बोलने नहीं देना चाहते।

श्री नेकराम शर्मा—

नो के लिये मैंने कहा था कि नो इज हैवी। आप इस पर वोट कराइये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अब डिक्लेयर कर दिया। बी० वी० शरण साहब उत्तर दें।

श्री नेकराम शर्मा—

आप से जब मांग की गयी तो आपको वोट लेना चाहिये था। आपने ही सारी फिजा खराब की है। आप जिम्मेदार हैं इन सारी बातों के जो हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

बहुत शोर हो रहा है। आप लोग शान्त रहें। माननीय बी० बी० शरण जी उत्तर दें।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसा है जिस पर आप सबकी सुन लें। यह बड़ा गम्भीर सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

वह हो चुका। अब वह उत्तर देंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह बहुमत का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, वह अब समाप्त हो चुका है। (अत्यधिक व्यवधान और शोर)

श्री बृजभूषणशरण—

मैं चाहता हूं कि अब इस प्रस्ताव पर वोट करा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान, नहीं, नहीं, नहीं, की आवाजें) अब मैं आपके सामने मूल प्रस्ताव रखता हूं। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव बृजभूषणशरण जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। लेकिन चूंकि सदन में शोर बहुत हो रहा है इसलिये सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित किया जाता है।

(इस समय २ बजकर ४५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजे उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(इस समय भी सदन में शोर एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। बहुत से सदस्य अपने-अपने स्थानपर खड़े हो गये और एक साथ बोलते रहे।)

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है उस पर बहस होनी चाहिये, क्योंकि अभी उस पर मतदान नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब बैठ जाइये । माननीय अध्यक्ष अपना निर्णय दे चुके हैं । अब उस पर कोई बात नहीं उठ सकती । वह पास हो चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल तथा अन्य सदस्य—

नहीं पास हुआ, नहीं पास हुआ (व्यवधान और शोर) ।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—सहकारिता

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सहकारिता मंत्री ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ३,१५,४७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान तथा शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई साहब कटमोशन मूव करते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कटमोशन हमारा है । लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान और घोर शोर के बीच श्री काशीनाथ मिश्र बोलते रहे और उन्होंने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

(अन्य सदस्यों के खड़े होकर शोर करने पर) आप सब बैठ जाइये और आगे की कार्यवाही चलने दीजिये ।

(सदस्यों के खड़े रहने तथा शोर के बीच)

श्री उपाध्यक्ष—

जो अनुदान पेश हुआ है, चूंकि उसमें कोई भाग नहीं लेना चाहता, अतः मैं उसे सदन की अनुमति के लिये पेश करता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ३,१५,४७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२५ मार्च, १९६४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर
पीछे पृष्ठ ४१० पर]

टी० बी० संस्थाओं की सूची

संस्थाओं के नाम	सरकारी तथा गैरसरकारी	शैयाओं की संख्या
१—के० ई० ७ सैनेटोरियम भुवाली, जिला नैनीताल ..	सरकारी	३४८
२—टी० बी० सेनेटोरियम, गेठिया, जिला नैनीताल ..	,,	११०
३—सरोजनी नायडू मिमोरियल टी० बी० सैनेटोरियम फिरोजाबाद, जिला आगरा	,,	९६
४—टी० बी० अस्पताल, इलाहाबाद	,,	४५
५—टी० बी० अस्पताल, इटावा	,,	२८
६—टी० बी० अस्पताल, हाथरस, जिला अलीगढ़ ..	,,	२५
७—टी० बी० अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सुल्तानपुर ..	,,	११८
८—टी० बी० अस्पताल, पिथौरागढ़	,,	४०
९—श्री वृज सेवा समिति टी० बी० सेनेटोरियम वृन्दावन, जिला मथुरा	गैरसरकारी	२९६
१०—कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक और अस्पताल, लखनऊ ..	,,	१००
११—टी० बी० अस्पताल, बस्ती	,,	१८
१२—मां सरस्वती टी० बी० अस्पताल, मथुरा ..	,,	८०
	योग	१,३०४

टी० बी० वार्ड

१—	जिला	अस्पताल,	अलीगढ़	सरकारी	१२
२—	,,	,,	बदायूं	,,	३०
३—	,,	,,	बिजनौर	,,	६
४—	,,	,,	फतेहपुर	,,	१२
५—	,,	,,	मुरादाबाद	,,	१०
६—	,,	,,	मैनपुरी	,,	३
७—	,,	,,	सहारनपुर	,,	२०
८—	,,	,,	रायबरेली	,,	३४
९—	,,	,,	मुजफ्फरनगर	,,	८
१०—	,,	,,	मिर्जापुर	,,	४
११—	,,	,,	सीतापुर	,,	६

संस्थाओं के नाम			सरकारी तथा गैरसरकारी	शैयाओं की संख्या
१२—जिला अस्पताल पौड़ी गढ़वाल	..	..	सरकारी	८
१३—लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर	..	..	,,	२२
१४—सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा	..	..	,,	२०
१५—लोवट अस्पताल रामनगर, वाराणसी	..	..	,,	१८
१६—आई० डी० अस्पताल, कानपुर	..	..	,,	४६
१७—आई० डी० अस्पताल, फैजाबाद	..	..	,,	४
१८—पी० एल० शर्मा अस्पताल, मेरठ	..	..	,,	२०
१९—दुगड्डा डिस्पेंसरी, पौड़ी-गढ़वाल	..	..	,,	४
२०—कोटद्वारा-डिस्पेंसरी, पौड़ी गढ़वाल	..	..	,,	४
२१—मिशन अस्पताल, फतेहगढ़	..	..	गैरसरकारी	५०
२२—क्लारा स्वेन अस्पताल, बरेली	..	..	,,	७२
				४१३
१९५७-५८ १—टी० बी० क्लीनिक्स, वाराणसी			सरकारी	..
२— ,, ,,	जौनपुर	..	,,	..
३— ,, ,,	गोरखपुर	..	,,	..
४— ,, ,,	गाजियाबाद	..	,,	..
१९५८-५९ ५— ,, ,,	बहराइच	..	,,	..
६— ,, ,,	बस्ती	..	,,	..
७— ,, ,,	देवरिया	..	,,	..
८— ,, ,,	बरेली	..	,,	..
९— ,, ,,	मेरठ	..	,,	..
१९५९-६० १०— ,, ,,	अलीगढ़	..	,,	..
११— ,, ,,	रायबरेली	..	,,	..
१२— ,, ,,	सीतापुर	..	,,	.
१३— ,, ,,	सहारनपुर	..	,,	..
१४— ,, ,,	गाजीपुर	..	,,	..
१९६०-६१ १५— ,, ,,	अल्मोड़ा	..	,,	..
१६— ,, ,,	खीरी	..	,,	..
१७— ,, ,,	कानपुर	..	,,	..
१८— ,, ,,	फतेहगढ़	..	,,	..
१९— ,, ,,	झांसी	..	,,	..
२०— ,, ,,	इलाहाबाद	..	,,	..
२१— ,, ,,	रामपुर	..	,,	..

	संस्थाओं के नाम				सरकारी तथा गैर सरकारी	शय्याओं की की संख्या
	२२—	टी० बी०	मिर्जापुर	..	सरकारी	..
	२३—	क्लीनिक,	फैजाबाद	..	,,	..
१९६२–६३	२४—	,,	टेहरी-गढ़वाल	..	,,	..
	२५—	,,	शाहजहांपुर	..	,,	..
	२६—	,,	देहरादून	..	,,	..
	२७—	,,	मथुरा	..	,,	..
	२८—	,,	फिरोजाबाद	..	,,	.१
	२९—	,,	लखनऊ	..	,,	..
			साधारण प्रकार की टी० बी० क्लीनिक्स			
	३०—	टी० बी०	इलाहाबाद	..	सरकारी	..
	३१—	क्लीनिक,	वाराणसी	..	,,	..
	३२—	,,	देहरादून	..	,,	..
	३३—	,,	मथुरा	..	,,	..
	३४—	,,	श्रमिकों के लिये कानपुर		,,	४
	३५—	,,	बुलन्दशहर	..	,,	२३
	३६—	,,	भुवाली	..	,,	..
	३७—	,,	मुरादाबाद	..	गैर सरकारी	..
	३८—	,,	कानपुर	..	,,	..
	३९—	,,	(सेन्ट्रल) कानपुर		,,	४०
	४०—	,,	अमरोहा (जिला मुरादाबाद)		,,	६
	४१—	,,	हरदोई	..	,,	६
	४२—	,,	लखनऊ,		लखनऊ विश्वविद्यालय	..
					योग	७९

टी० बी० आइसोलेशन शय्याओं की संख्या

१—टी० बी० आइसोलेशन अस्पताल			बस्ती		सरकारी	५०
२—	,,	,,	,,	हरद्वार	,,	५०
३—	,,	,,	,,	कानपुर	,,	५०
४—	,,	,,	,,	मिर्जापुर	,,	५०
५—	,,	,,	,,	वृन्दाबन	,,	५०
						२५०

टी० बी० अस्पताल तथा सेनेटोरिया में कुल शय्याओं की संख्या ..	१,३०४
टी० बी० वार्ड्स में कुल शय्याओं की संख्या	४१३
टी० बी० क्लीनिक्स में कुल शय्याओं की संख्या	७९
टी० बी० आइसोलेशन के कुल शय्याओं की संख्या	२५०
कुल योग ..	२०४६

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७ पर]

प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन को सन् १९६१–६२ में कुल ६८,६०१ मैट्रिक टन और सन् १९६२–६३ में कुल १,३३,१७५ मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरक राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई। उपरोक्त उर्वरक केन्द्रीय सरकार के खाद व कृषि विभाग से राज्य सरकार के निर्धारित बिक्री मूल्य पर प्राप्त हुआ और उसी निर्धारित दर पर पी० सी० एफ० के बिक्री केन्द्रों से बेंचा गया। विस्तृत विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। इस खाद की उपलब्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय उर्वरक उत्पादकों तथा स्पात कम्पनियों से व विदेशों से की जाती है और इसका वितरण व मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता है जो फर्टिलाइजर कंन्ट्रोल आर्डर सन् १९५७ द्वारा संचालित है।

उपर्युक्त नेत्रजन उर्वरकों के अतिरिक्त फासफेटिक उर्वरक के रूप में केवल १९६२-६३ में ६,८२१ मैट्रिक टन कतिपय भारतीय सुपर फासफेट कम्पनियों से पी० सी० एफ० द्वारा उपलब्ध किया गया और मिश्रित खाद बनाने में प्रयोग किया गया, जिसका विवरण भी तालिका में दिया गया है। मिश्रित खाद की बिक्री राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रत्येक बिक्री-केन्द्र पर राज्य भर में एक ही दर पर की जाती है।

नियंत्रित उर्वरक का नाम	१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक का प्राप्त स्टाक		१ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक का प्राप्त स्टाक	विक्री दर प्रति मैट्रिक टन
१	२		३	४
	खरीद की दर			
(अ)	(मैट्रिक टन)	(मैट्रिक टन)	(मैट्रिक टन)	
अमोनियम सल्फेट	३८,३४८	८९,१८१	रु० ३३०.०० न०पै०	रु० ३६६.०० न० पै०
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ..	६,३१७	४,२८५	रु० ४००.०० ,,	रु० ४३८.०० न० पै०
यूरिया ..	५,६२१	७,५२९	रु० ६७०.०० ,,	रु० ७१९.०० न० पै०
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट ..	१८,३१५	३२,१८०	(रु० ३१०.०० न० पै० ३–१०–६३ तक)	(रु० ३४६.०० न० पै० ४–१०–६२ तक
			(रु० २७८.०० न० पै० ३१–३–६३ तक)	(रु० ३१४.०० न० पै० ३१–३–६३ तक
योग ..	६८,६०१	१,३३,१७५		

(ब) फासफेटिक उर्वरक:—	वजन मैट्रिक टन में	रेट	
१—मैसर्स जैत्री केमिकल तथा फर्टिलाइजर, कलकत्ता से	२,१५६	रु० १९६.१० न० पै०	(एफ० ओ० आर०, टीटागढ़)
२—मेसर्स रैलिस इंडिया लि०, कानपुर से	४,३३५	रु० १९३.५० न० पै०	(एफ० ओ० आर०, टीटागढ़)
		रु० २१५.०० न० पै०	(एफ० ओ० आर०, मगरवारा)
३—मैसर्स फासफेट कम्पनी लि०, कलकत्ता से	३३०	रु० १९३.५० न० पै०	(एफ० ओ० आर०, टीटागढ़)
योग ..	६,८२१		

बिक्री दर मिक्सचर नम्बर १——————————रु० ५०४ प्रति मैट्रिक टन
बिक्रीकर दर मिक्सचर नम्बर २——————————रु० ४१० प्रति मैट्रिक टन
बिक्री दर मिक्सचर नम्बर ३——————————रु० ४३५ प्रति मैट्रिक टन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

रूप पत्र "अ"

विकास क्षेत्र हस्वा (फतेहपुर) में आयोजित १९६३–६४ में किसान मेले पर व्यय की धनराशि का विवरण

क्रमांक	व्यय की मद	उपलब्ध धन	किसान मेला का व्यय	व्यय का विवरण	धनराशि. जिसके द्वारा व्यय की गई	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	समाज शिक्षा	५००.००	४९२.९४	४१.५० छपाई प्रचार के लिये कार्ड बोर्ड, काली स्याही,	सहायक विकास अधिकारी (सं० तथा स० शि०) तथा पशु पालन ।	
				३७.५० वी० टी० स्याही, नीली, स्याही, सुनहला अबरी ।		
				१५४.०० शामियाना, कनात का किराया		
				२६.२५ मिट्टी का तेल ३ तीन टीन		
				१८.५९ रस्सी, सुतली एवं कील		
				५.८१ चूना, स्पोर्ट्स, लाइनिंग एवं स्वच्छता हतु ।		
				६६.५० मजदूरी ७ मजदूर ५० मानव दिन		
				१४२.९४ पुरस्कार–खेलकूद प्रतियोगिता, बच्चों की एवं प्रौढ़ों की कृषि कार्यक्रम, सांकृतिक कार्यक्रम पर ।		
	योग		४९२.९४			

२	पशु प्रदर्शनी	१००–००	१००–००	६–५०	सुतली पतंगी कागज पर प्रदर्शनी के सजावट हेतु ।	सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) ।
				७–५०	रिंग पोल, बर्तन की ढुलाई ।	
				८६–००	पुरस्कार—पशु प्रदर्शनी में विजेता पशुओं को ।	
				१००–००	योग	
३	औद्योगिक प्रदर्शनी	४००–००	४००–००	११६–००	शामियाना, कनात का किराया ।	विकास प्रमुख व सहायक विकास अधिकारी (उद्योग)
				६०–००	किराया लाउड स्पीकर ४ दिन प्रचार हेतु ।	
				२०–००	शामियाना ढुलाई फतेहपुर से हस्वा व वापसी ।	
				२६–००	किराया हण्डे ४ ।	
				४६–५०	पिन, मैन्टल, कपड़ा, रंग, डब्बा, ब्रुश, सफेदा टिन पेन्ट ।	
				६४–००	मजदूरी, ६ मजदूर, ६ मानव दिन, १ राज, ७ मानव दिन ।	
				७–५०	चूना, रस्सी आदि माडल की पुताई एवं लाईनिंग में ।	
				१०–००	प्रदर्शन के सामान की ढुलाई ।	
				५०–००	पुरस्कार औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं पर ।	
				४००–००	योग	

उत्तर प्रदेश राज्य

क्रमांक	व्यय का मद	उपलब्ध धन	किसान मेला का व्यय	व्यय का विवरण		धनराशि जिसके द्वारा व्यय की गई	अन्य विवरण
१	२	३	४	५		६	७
४	महिला मंगल	६७–००	६७–००	५८–००	प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण ।	सहायक विकास अधिकारी (महिला मंगल)	
				९–००	शिशु प्रदर्शनी, बालवाड़ी के बच्चों के कार्यक्रम पर ।		
				६७–००	योग		
५	जनता का व्यय	६९०–००	६९०–००	५१८–३५	ड्रामा, स्टेज मेकअप, रिहर्सल, बस का किराया इलाहाबाद से हस्वा एवं वापसी ।	सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा एवं पंचायत) ।	
				४८–००	ईंट की ढुलाई फतेहपुर से हस्वा ।		
				३७–६९	पैट्रोमेक्स की मरम्मत एवं जलाने की मजदूरी ।		
				२४–००	महराज व कहार ।		
				३०–८४	चावल, दाल, सब्जी, कोयला आदि ।		
				१८–००	कुल्हड़, परई, पत्तल ।		
				१३–१२	मसाला हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा, हींग ।		
				६९०–००	योग		

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

सूची

कानपुर की जिन सूती मिलों में अभिनवीकरण की योजनायें चालू हैं प्रायः उन सब में बीवर्स, रिंग पीसर्स तथा रिंग ड्रापर्स और सम्पूर्णानन्द अवार्ड में प्रश्न १(ख) के अन्तर्गत वर्णित सात वर्गों के श्रमिकों को नई वेतन दर से वेतन दिया जा रहा है और पिछला बकाया चुकता किया जा चुका है, ५ सवेतन तथा १० बिना वेतन की छुट्टियां दी जा रही हैं और इतवार को काम करने की व्यवस्था चल रही है। केवल लक्ष्मी रतन काटन मिल में उक्त नई वेतन दरें व छुट्टियां श्रमिकों के साथ २० मार्च, १९६३ को हुये एक समझौते के अनुसार दी जाती हैं।

एल्गिन मिल नं० २ को चले अभी ५ वर्ष नहीं हुये हैं। अतः उनके श्रमिकों को सर्विस ग्रेचुटी देय नहीं है। कानपुर की शेष ९ सूती मिलों के श्रमिकों से फरवरी, ६४ तक ग्रेचुटी के ३,२३६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से २,१३२ श्रमिकों को १५,५०,७५९.५८ रु० की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। ४७२ श्रमिक ग्रेचुटी के योग्य नहीं पाये गये। शेष प्रार्थना-पत्रों पर क्रमशः कार्यवाही की जा रही है।

उक्त अवार्ड के अनुसार मिलों में श्रमिकों के स्थाई पदों का निर्धारण तथा उन पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

उक्त अवार्ड के अनुसार श्रमिकों के फिजिकल, आपरेशनल तथा मैकेनिकल काम की दशाओं के संबंध में समय-समय पर जो शिकायतें आती हैं उन पर श्रमायुक्त के कार्यकुशलता सलाहकार समुचित कार्यवाही करते हैं।

———

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर)

लखनऊ नगर के स्प्रिट के थोक लाइसेंसीज की सूची

क्रम-संख्या	लाइसेंसी का नाम	दुकान की स्थिति
१	२	३
१	सर्वश्री लालताप्रसाद एन्ड सन्स	सदर बाजार
२	सर्वश्री गोकुलचन्द घनश्यामदास गोयल	लाटूश रोड
३	मेसर्स डायर मैकिन बेवेरीज लिमिटेड	डालीगंज
४	श्रीमती उमेदा देवी	लाटूश रोड
५	मेसर्स जी० पी० एन्ड सन्स	अशरफाबाद

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर)

लखनऊ नगर के नगर महापालिका, कैन्टोनमेंट तथा नोटीफाइड एरिया, आलमबाग तथा चारबाग क्षेत्रों के अन्तर्गत डिनचर्ड स्प्रिट के फुटकर विक्रेताओं की सूची :

क्रम-संख्या	अनुज्ञापी के नाम	दूकान जहां पर स्थित है	माहवारी कोटा
१	२	३	४
			बल्क गैलन
१	श्री रामेश्वर पत राम	.. डालीगंज	.. १२५
२	श्री अच्छैवर मल	.. महानगर	.. १५०
३	श्री चन्द्रभूषन दीक्षित	.. यहियागंज	.. १००
४	श्री बाई० के० नारायण	.. वजीरगंज	.. १००
५	श्री श्याम जी	.. ठाकुरगंज	.. १००
६	श्री केदार नाथ रस्तोगी	.. विक्टोरियागंज	.. १००
७	श्रीमती राजेश्वरी	.. न्यू हैदराबाद	.. १००
८	श्री हर स्वरूप	.. ठाकुरगंज	.. १५०
९	श्री मुहम्मद अमीन	.. खाला बाजार	.. १००
१०	श्री चन्द्र माधो शुक्ल	.. राजा बाजार	.. १५०
११	श्री ज्ञान चन्द	.. चौक	.. १००
१२	श्री आफताब अहमद	.. अमीनाबाद	.. ७५
१३	श्री सूरजभान	.. सदर बाजार	.. ७५
१४	श्री रघुनाथ दास कैलाश नाथ मित्तल	.. आर० ए० बाजार	.. ७५
१५	श्री महादेव प्रसाद	.. डालीगंज (बांस मंडी)	१५०
१६	श्री रमाकान्त तिवारी	.. महानगर	.. १००
१७	श्री राम गोपाल	.. यहियागंज	.. १००
१८	श्री कौशल किशोर	.. सादतगंज	.. २००
१९	श्री बृजनन्दन लाल प्यारे लाल कपूर	लालबाग	.. २००
२०	श्री घुर नारायन	.. मोतीनगर	.. १००
२१	श्रीमती गंगारानी	.. खुर्शेदबाग	.. २००
२२	श्री रामेश्वर त्रिवेदी	.. हजरतगंज	.. १००
२३	श्री कृष्ण वस्त शुक्ला	.. निशातगंज	.. २२५
२४	श्रीमती मैरोदेवी	.. कैसरबाग	.. १००
२५	श्रीमती बसन्ती देवी	.. अमीनाबाद	.. २००
२६	डाक्टर आर० डी० जसवाल	.. नाजिम महल रोड	.. ७५
२७	श्री मुन्ना लाल	.. महानगर	.. १००
२८	श्री युसूफ मिरजा यकबाल	.. बांस मंडी	.. २००
२९	श्री अख्तर अली आबिद अली	.. कैसरबाग	.. ३००

क्रम-संख्या	अनुज्ञापी के नाम	दूकान जहां पर स्थिति हैं	माहवारी कोटा बल्क	गलन
१	२	३	४	
३०	डाक्टर एच० एन० धवन	.. डालीगंज	..	१५०
३१	श्री जै दयाल अवस्थी	.. लाटूश रोड	..	२७५
३२	श्री मोहन अग्रवाल	.. सदर बाजार	..	२००
३३	श्री ललति किशोर	.. चौक	..	२००
३४	श्रीमती शोभा रानी वैश्य	.. अमीनाबाद	..	५००
३५	श्री कृष्ण वर्मा	.. ऐबट रोड	..	२००
३६	श्री हरहर प्रसाद	.. नाका हिन्डोला	..	१५०
३७	श्री रघुनाथ दास कक्कर	.. चौक	..	५०
३८	श्री राधेश्याम हरीकृष्ण गोयल	.. लाटूश रोड	..	९९३
३९	श्री जे० सी० शर्मा	.. गंगा प्रसाद रोड	..	५०
४०	श्रीमती कमला देवी	.. गनेशगंज	..	७५
४१	श्रीमती कमला देवी	.. अमीनाबाद	..	१००
४२	श्रीमती कमला देवी	.. कैसरबाग	..	७५
४३	श्री राधे श्याम हरीकृष्ण गोयल	.. सदरबाजार	..	३३३
४४	श्री मेंहदी हुसैन	.. नादान महल रोड	..	१००
४५	श्री विश्वनाथ प्रसाद	.. अमीनाबाद	..	७५
४६	श्रीमती रामापिया दर्शनी	.. कैसरबाग	..	५०
४७	श्रीमती राजेश्वरी वर्मा	.. चौराहा आई० टी० कालेज		१२०
४८	श्री जोगेन्दर सिंह	.. रीवर बैंक कालोनी	..	१२०
४९	श्री बी० एम० लाल	.. लाटूश रोड	..	१००
५०	श्रीमती चन्दवती शुक्ला	.. गनेशगंज	..	१५०
५१	श्री आर० एन० मेहरोत्रा	.. एबट रोड	..	१००
५२	श्री संत बक्स राय	.. हजरतगंज	..	५०
५३	श्री संत बक्स राय	.. सदर बाजार	..	२५
५४	श्री मंगलसिंह कैलाश नाथ टंडन	.. एबट रोड	..	१००
५५	श्री एस० एन० श्रीवास्तवा	.. राजेन्द्र नगर	..	१००
५६	श्री मंगल सिंह	.. हजरतगंज	..	२००
५७	श्री मदन लाल	.. लाटूश रोड	..	१००
५८	श्री बाले दीन गुप्ता	.. लाटूश रोड	..	१००
५९	श्री तेज कृष्ण रस्तोगी	.. अमीनाबाद पार्क	..	५०
६०	श्री जगदीश लाल मलिक	.. हजरतगंज	..	१००
६१	श्रीमती शोभा रानी वैश्य ऐंड संस	.. दौलत गंज	..	१००
६२	कपिलदेव सिंह विद्या प्रकाश	.. अलीगंज	..	१००
६३	श्री सियाराम जगत नारायण	.. आलमबाग	..	१००
६४	श्री हरिहर प्रसाद	.. आलमबाग	..	१७५
६५	श्री बी० टी० बलानी तथा कुसुमलता	.. आलमबाग	..	४५
६६	श्री सुख राम दास	.. अहिबरनापुर	..	१७५

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर)

३ वर्ष से अधिक समय से एक ही विकास क्षेत्र में नियुक्त विकास अधिकारियों की सूची

क्र-संख्या	क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम		विकास क्षेत्र व जिला जहां नियुक्त हैं
१	२		३
१	श्री जय वीर सिंह त्यागी	..	मेरठ (मेरठ)
२	श्री श्याम लाल रोर	..	मुरादनगर (मेरठ)
३	श्री जो० डी० सचान	..	बसायन (अलीगढ़)
४	श्री डी० पी० एस० रावत	..	गंगीरी (अलीगढ़)
५	श्री बलजोर सिंह	..	हाथरस (अलीगढ़)
६	श्री सोरन सिंह	..	आकराबबाद (अलीगढ़)
७	श्री आर० पी० एस० तोमर	..	थानीपुर (अलीगढ़)
८	श्री एम० एन० शर्मा	..	सादाबाद (मथुरा)
९	श्री बी० जी० रेले	..	फतेहपुर सीकरी (आगरा)
१०	श्री० के० एन० द्विवेदी	..	जसराना (मैनपुरी)
११	श्री बी० एस० सक्सेना	..	बर्वाहल (मैनपुरी)
१२	श्री नगेन्द्र सिंह	..	सहावर (ऐटा)
१३	श्री० बी० एन० खान	..	बेहजम (खीरी)
१४	श्री आर० पी० सिंह	..	लखीमपुर (खीरी)
१५	श्री एच० यस० शुक्ला	..	रामपुर मथुरा (सीतापुर)
१६	श्री डी० एस० दीक्षित	..	कसमन्डा (सीतापुर)
१७	श्री एच० एम० सक्सेना	..	बिस्वां (सीतापुर)
१८	श्री योगेन्द्र झा	..	बिलग्राम (हरदोई)
१९	श्री आर० एस० अग्रवाल	..	बावन (हरदोई)
२०	श्री बी० एस० सिकरोरिया	..	कुठावा (हरदोई)
२१	श्री बी० डी० प्रधान	..	हरियावां (हरदोई)
२२	श्री एस० जी० अस्थाना	..	हरिचन्दपुर (रायबरेली)
२३	श्री आर० एस० मिश्रा	..	सिंहपुर (रायबरेली)
२४	श्री एम० एन० मिश्रा	..	हीलोली (उन्नाव)
२५	श्री अचल कुमार माथुर	..	बीकापुर (फैजाबाद)
२६	श्री एस० पी० सिंह	..	मिल्कीपुर (फैजाबाद)
२७	श्री टी० पी० दूबे	..	मसोधा (फैजाबाद)
२८	श्री सी० एल० कुरील	..	छपिया (गोंडा)
२९	श्री आर० एन० श्रीवास्तव	..	वामनजोत (गोंडा)
३०	श्री दिगिविजय सिंह	..	तरबगंज (गोंडा)
३१	श्री बलभद्र प्रसाद शास्त्री	..	मुंसेहना (गोंडा)
३२	श्री महानन्द	..	कटरा बाजार (गोंडा)
३३	श्री हसन जमील	..	बंकी (बाराबंकी)

क्रम-संख्या	क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम		विकास क्षेत्र जिला जहां नियुक्त हैं
१	२		३
३४	श्री एम० एल० कुरील	..	सिरसिया (बहराइच)
३५	श्री बी० पी० शर्मा	..	नबाब गंज (बहराइच)
३६	श्री एस० एन० तिवारी	..	रिसिया (बहराइच)
३७	श्री एन० उपाध्याय	..	मादर (सुल्तानपुर)
३८	श्री श्रीराम श्रीवास्तव	..	गोरा (प्रतापगढ़)
३९	श्री बी० के० भास्नी	..	हथगवां (फतेहपुर)
४०	श्री आर० एस० दुबे	..	हसवा (फतेहपुर)
४१	श्रीमती सुशीला भार्गव	..	शमशाबाद (फर्रुखाबाद)
४२	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता	..	बड़ागांव (झांसी)
४३	श्री विष्णुनारायन श्रीवास्तव	..	राठ (हमीरपुर)
४४	श्री रामायण गिरि	..	जैतपुर (हमीरपुर)
४५	श्री जे० सी० पांडे	..	चहनियां (वाराणसी)
४६	श्री आद्या प्रसाद सिंह	..	नियमताबाद (वाराणसी)
४७	श्री के० एन० पांडे	..	धानापुर (वाराणसी)
४८	श्री शिवदास सिंह	..	घोरावल (मिर्जापुर)
४९	श्री शिवमूर्ति सिंह	..	सीटी (गाजीपुर)
५०	श्री काली चरण प्रसाद	..	मरदाहे (गाजीपुर)
५१	श्री केदार नाथ उपाध्याय	..	मोहम्मदाबाद (गाजीपुर)
५२	श्री डी० के० चौधरी	..	मदोरा (गाजीपुर)
५३	श्री राम निहोरा राम	..	बड़ा छावर (गाजीपुर)
५४	श्री एन० बी० सिंह	..	हनुमानगंज (बलिया)
५५	श्री अच्युतानंद	..	नवानगर (बलिया)
५६	श्री रोजन अली खां	..	सहजनवां (गोरखपुर)
५७	श्री केशव प्रसाद सिंह	..	महाराजगंज (गोरखपुर)
५८	श्री चन्द्रभान सिंह प्र०	..	पिरेच (गोरखपुर)
५९	श्री राम भरोसे पांडे	..	रानीपुर (आजमगढ़)
६०	श्री के० बी० सिंह	..	घोसी (आजमगढ़)
६१	श्री सी० एन० सिंह	..	जहांनगंज (आजमगढ़)
६२	श्री एल० एन० बसक	..	बड़रांव (आजमगढ़)
६३	श्री जे० एन० चड्ढा	..	बिलरियागंज (आजमगढ़)
६४	श्री टी० एन० कौल	..	रुद्रपुर (देवरिया)
६५	श्री एम० ए० अन्सारी	..	सलीमपुर (देवरिया)
६६	श्री बी० बी० तिवारी	..	बिष्णुपुर (देवरिया)
६७	श्री पोहरी पांडे	..	शिवराही (देवरिया)
६८	श्री रामधारी सिंह	..	मलवानी (देवरिया)
६९	श्री रामचन्द्र दूबे	..	गोरी बाजार (देवरिया)
७०	श्री हरिद्वारधर दूबे	..	नाथनगर (बस्ती)
७१	श्री भोला नाथ त्रिपाठी	..	नवगढ़ (बस्ती)
७२	श्री राम नाथ राय	..	हरैया (बस्ती)
७३	श्री रामप्रीत नारायन सिंह	..	गौर (बस्ती)

क्रम संख्या	क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम	विकास क्षेत्र व जिला जहां नियुक्त हैं
१	२	३
७४	श्री ओ० पी० चौहान	.. लोरी खेरी (पीलीभीत)
७५	श्री जी० बी० भट्ट	.. मीरगंज (बरेली)
७६	श्री शैलेन्द्र गुप्ता	.. मजगंवा (बरेली)
७७	श्री पंचम लाल	.. उझानी (बदायूं)
७८	श्री आर० सी० मेहरोत्रा	.. सम्भल (मुरादाबाद)
७९	श्री आर० पी० मिश्र	.. बिलारी (मुरादाबाद)
८०	श्री बे० के० अग्रवाल	.. धींगरपुर मुरादाबाद)
८१	श्री डी० एन० शर्मा	.. पुवांया (शाहजहांपुर)
८२	श्री जी० डी० वर्मा	.. ददरोल (शाहजहांपुर)
८३	श्री एस० एस० शुक्ला	.. निगोही (शाहजहांपुर)
८४	श्री ओ० पी० शर्मा	.. जलालाबाद (शाहजहांपुर)
८५	श्री बी० डी० मेहतर	.. नन्द (पीलीभीत)
८६	श्री टी० डी० लोहनी	.. बागेश्वर (अल्मोड़ा)
८७	श्री के० सी० उपरेती	.. रुद्रपुर (नैनीताल)
८८	श्री एम० सी० पांडे	.. हलद्वानी (नैनीताल)
८९	श्री० एस०एस० रावत	.. जखोली (टेहरी गढ़वाल)
९०	श्री डी० डी० मुरारी	.. पोखरा (पौढ़ी गढ़वाल)
९१	श्री जे० डी० दालाकोटी	.. चांदकोटे (गढ़वाल)
९२	श्री एम० पी० कुकशाल	.. भटवारी (उत्तरकाशी)
९३	श्री वाई० पी० जोशी	.. डुंडा (उत्तरकाशी)
९४	श्री जे० पी० कुंडलिया	.. नोगांव (उत्तरकाशी)
९५	श्री बी० एस० राना	.. पूरोला (उत्तरकाशी)
९६	श्री के० सी० पांडेय	.. धारचूला (पिथौरागढ़)
९७	श्री जे० एस० विष्ट	.. बेरी नाग (पिथौरागढ़)
९८	श्री जे० सी० मगन	.. कनाली छीना (पिथौरागढ़)
९९	श्री एच० सी० उपरेती	.. दिगतर (पिथौरागढ़)
१००	श्री मोहन सिंह विष्ट	.. पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)
१०१	श्री डी० एन० उपरेती	.. गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
१०२	श्री पी० एस० नेगी	.. कर्ण प्रयाग (चमोली)